भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2019-20

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2019-20

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2019-20 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के बाइसवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है जो सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है।

वित्तीय लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु वार्षिक वित्तीय तथा विनियोग लेखाओं को तैयार किया गया है।

हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी ।

शिमला
दिनांकः 31 मार्च 2021

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता हैं तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्य

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय I	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग	6
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	10
अध्याय II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	13
2.2	राजस्व प्राप्तियां	13
2.3	कर राजस्व	15
2.4	कर वसूली में लागत	18
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान	18
2.6	सहायता अनुदान	19
2.7	लोक ऋण	20
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	21
3.2	राजस्व व्यय	22
3.3	पूंजीगत व्यय	24
अध्याय IV	**योजनागत तथा आयोजनेतर व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण (2019-20)	27
4.2	योजनागत व्यय	27
4.3	आयोजनेतर व्यय	29
4.4.	प्रतिबद्ध व्यय	30

पृष्ठ संख्या

अध्याय V	**विनियोग लेखे**	
5.1	वर्ष 2019-20 के लिए विनियोग लेखों का सारांश	31
5.2	विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान	31
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	32
अध्याय VI	**परिसम्पतियां तथा दायित्व**	
6.1	परिसम्पतियां	36
6.2	ऋण तथा देनदारियां	37
6.3	प्रतिभूतियां	38
अध्याय VII	**अन्य मदें**	
7.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	39
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	39
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	39
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	41
7.5	प्राप्ति तथा व्यय का मिलान	42
7.6	लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रेषण	42
7.7	सार आकस्मिक बिल/विस्तृत आकस्मिक बिल	42
7.8	उचन्त तथा प्रेषण शेषों की स्थिति	42
7.9	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति	43
7.10	अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यो बारे वचनबद्धता	44
7.11	नई पेंशन स्कीम	45
7.12	व्यक्तिगत जमा खाते	45
7.13	निवेश	46
7.14	रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)	46
7.15	समेकित निक्षेप निधियां	46
7.16	गारंटी मोचन निधि	46
7.17	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	47
7.18	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	48
7.19	राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर	49
7.20	आहरण व संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खातों में धन की पार्किंग	50
7.21	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को स्थानांतरित निधि	50
7.22	व्यय की अधिकताः मुख्यशीर्ष 2040	50
7.23	स्वायत्तशासी निकायों आदि को निधियों का अंतरण	51
7.24	लेखांकन मानकों की अनुपालना	51

अध्याय I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिमाचल प्रदेश विभिन्न अभिकरणों/एजेसियों द्वारा संग्रहित, वर्गीकृत एवं लेखा सामग्री को संकलित करने तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन 18 जिला खजानों , 87 लोक निर्माण मण्डलों, 60 जल शक्ति विभाग व 89 वन मण्डलों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारम्भिंक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञापनो पर आधारित होता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सरकार के व्यय की गुणवत्ता एवं महत्वपूर्ण वित्तीय सकेतकों की तिमाही टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखा-परीक्षण करने तथा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) संकलित इन लेखाओं से वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तैयार करता है जिन्हें राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता है:-

सरकारी लेखाओं की संरचना

भाग 1
समेकित निधि

कर तथा गैर -कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सरकार की समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।

भाग 2
आकस्मिकता निधि

विधानपालिका द्वारा प्राधिकरण के अधीन यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय के लिए खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 5.00 करोड़ है।

भाग 3
लोक लेखा

समेकित निधि को क्रेडिट की जाने वाली राशि के अलावा अन्य प्राप्त सभी लोक धन राशियों को लोक-लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसी प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा के अन्तर्गत समाहित है:

लघु बचतों तथा भविष्य-निधियों जैसी वापसियां, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम, उचन्त तथा विविध लेन देन (अन्तिम लेखा शीर्षो में बुकिंग के अधीन समायोजन प्रविष्टियां) लेखा संस्थाओं के बीच सम्प्रेषण तथा रोकड़ शेष।

1.2.2 लेखाओं का संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख

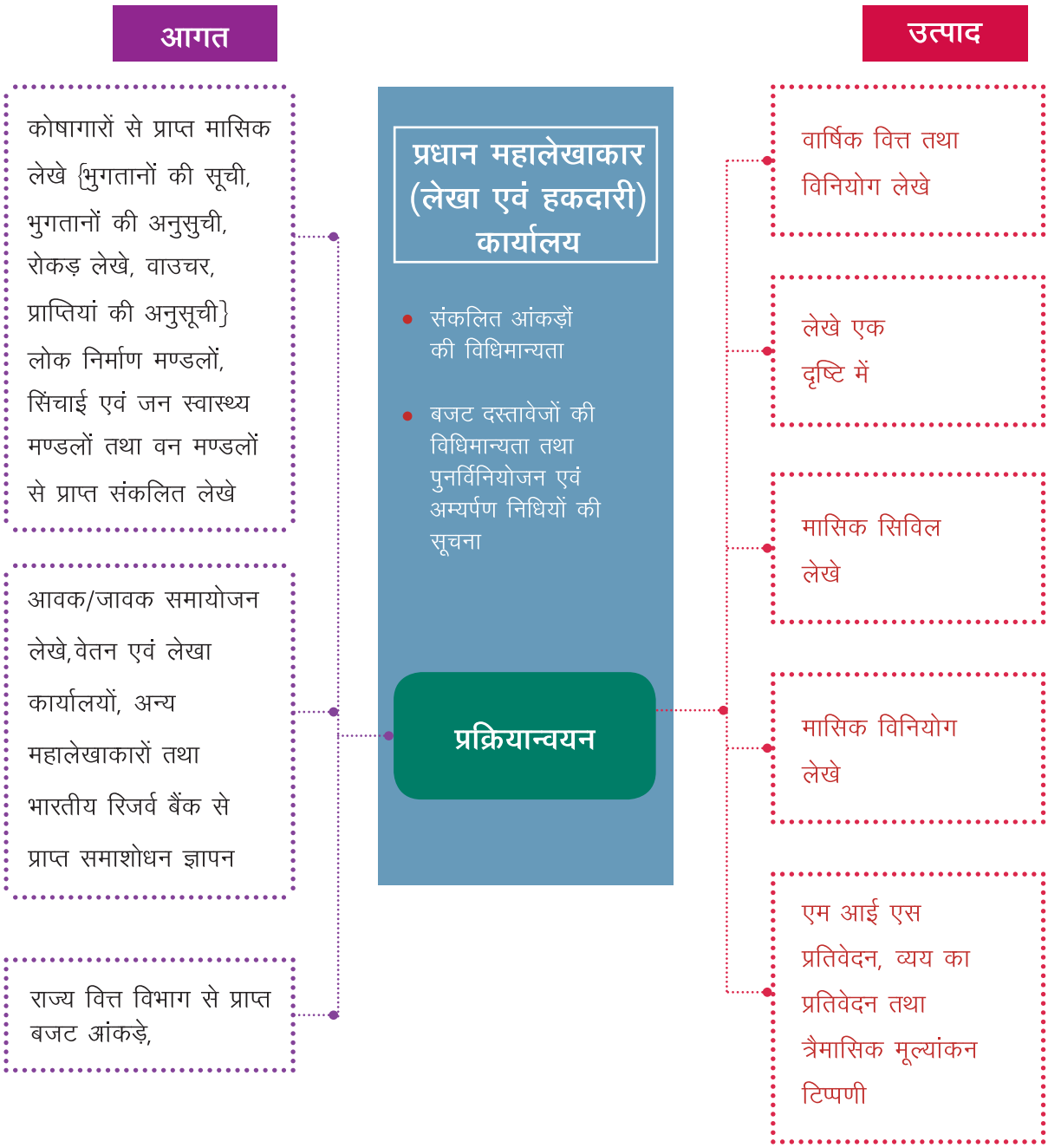

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक - लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं सार्थक लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत विस्तृत विवरणियां (भाग- I) तथा परिशिष्ट (भाग- II) समावेश किया जाता हैं ।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा सम्बन्धित वर्ष हेतु अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजैंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन. जी. ओ.) को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे अन्तरणों (इस वर्ष ₹ 1,373 करोड़ की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त-लेखे के खण्ड-II में परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 वर्ष 2019-20 में वित्तीय आर्कषण

वर्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा बजट अनुमानों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र0 स0	विवरण	बजट प्राक्कलन 2019-20	वास्तविक आंकड़े 2019-20	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता (#)
1.	कर राजस्व (संघीय भाग सहित) (क)	12,682	12,301	97	7
2.	गैर कर-राजस्व	2,372	2,501	105	2
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	17,276	15,940	92	10
4.	*राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)*	**32,330**	**30,742***	**95**	**19**
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली**	31	21	68	..
6.	अन्य प्राप्तियां**	..	2	..	..
7.	उधार तथा अन्य दायित्व (ख)	10,626	5,597	53	3
8.	*पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)*	**10,657**	**5,620**	**53**	**3**
9.	*कुल प्राप्तियां (4+8)*	**42,987**	**36,362**	**85**	**22**
10.	*राजस्व व्यय*	**36,337**	**30,730**	**85**	**19**
11.	मद संख्या 11 में से ब्याज अदायगियों पर आयोजनेतर व्यय	4,550	4,234	93	3
12.	*पूंजीगत व्यय*	**5,943**	**5,174**	**87**	**3**
13.	*ऋणों तथा अग्रिम (ग)***	**707**	**458**	**65**	**..**
14	*कुल व्यय (10+12+13)*	**42,987**	**36,362**	**85**	**22**
15.	*राजस्व घाटा (-)* *राजस्व आधिक्य (+)(4-10)***	**(-)4,007**	**12**	**129**	**..**
16.	*राजकोषीय घाटा (4+5+6-14)*	**(-)10,626**	**(-)5,597**	**53**	**3**

(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 4,678 करोड़ सम्मिलित है । (राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 7,624 करोड़ थी जो कि जी एस डी पी का 5 *प्रतिशत* है।)

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता व्यय निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

(ग) ऋण तथा अग्रिम योजनागत (₹ 448 करोड़) + ऋण तथा अग्रिम आयोजनेतर (₹ 10 करोड़)

\# सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 1,65,472 करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर उपलब्ध नहीं थे ।

* बुक-समायोजन द्वारा ₹ 3 करोड़ की राशि शामिल है ।

** प्रतिशतता नगण्य थी अतः -- दर्शाया गया है ।

वर्ष 2019-20 की प्राप्तियां व संवितरण

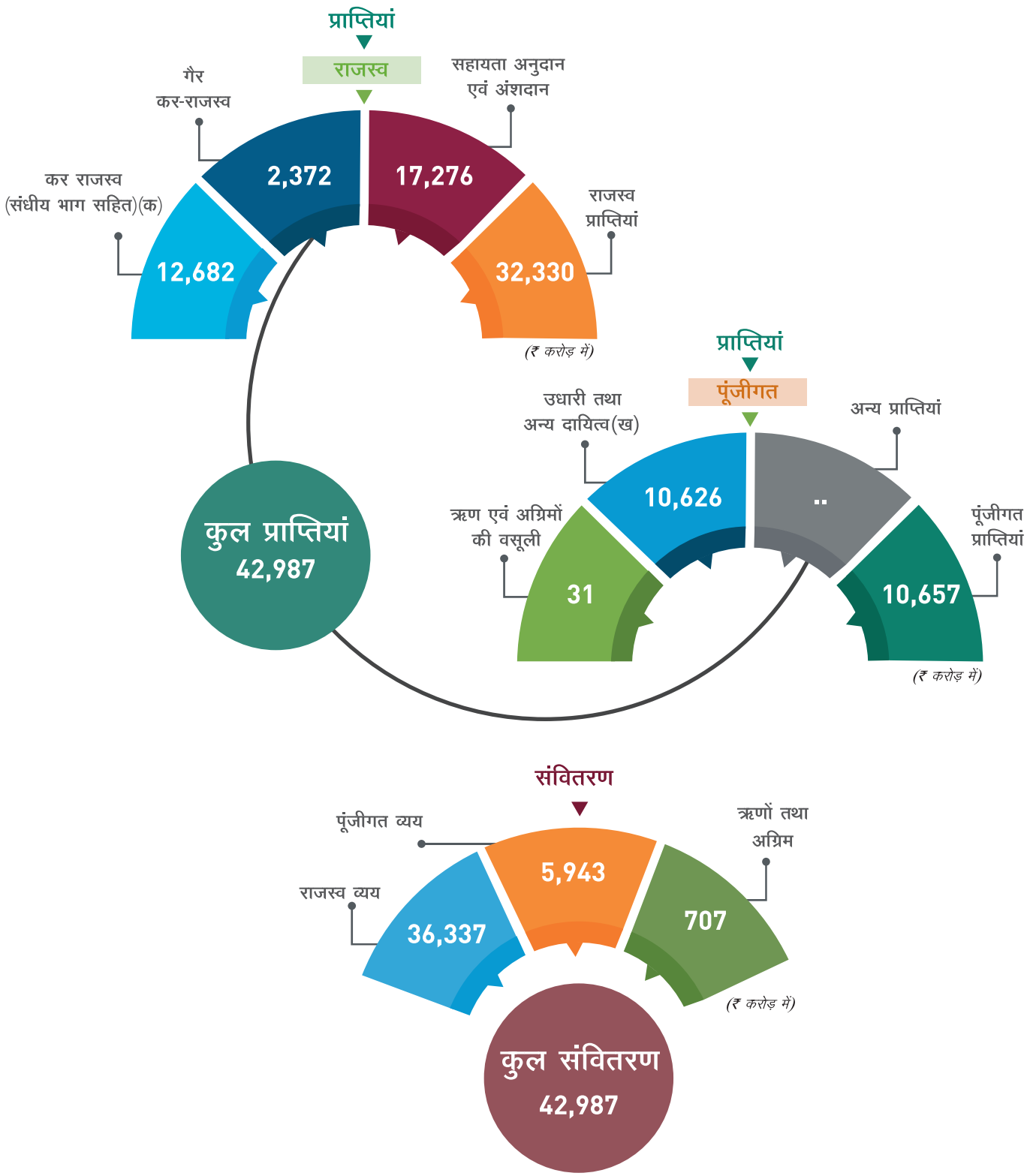

(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 4,678 करोड़ सम्मिलित है। (राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 7,624 करोड़ थी जो कि जी एस डी पी का 5 *प्रतिशत* है।)

(ख) उधार तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता व्यय निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अनुच्छेद-204 व 205 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय"दत्तमत" होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के बजट में 15 प्रभारित विनियोजन तथा 32 दत्तमत अनुदान है। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

1.3.4 बजट तैयारी में दक्षता

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट ₹ 53,708 करोड़ के सम्मुख हिमाचल प्रदेश सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत ₹ 8,229 करोड़ की कुल बचत और ₹ 50 करोड़ का व्यय आधिक्य दर्शाया गया है अतएव ₹ 8,179 करोड़ की निवल बचत हुई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई, सहकारिता, शहरी विकास, नगर एवं ग्राम तथा आवास (₹ 50 करोड़ के सभी दत्तमत प्रावधान) से सम्बन्धित चार अनुदानों को नियमितीकरण की आवश्यकता है।

प्रभारित विनियोग पर आधिक्य को भी नियमितीकरण की आवश्यकता है, जैसे भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन, सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई, और वित्त सभी प्रभारित विनियोग ₹ 0.24 करोड़ है जिनमें वर्ष 2019-20 के दौरान अधिक व्यय हुए।

वर्ष 2019-20 के दौरान आठ अनुदानों अर्थात अनुदान संख्या 04,05,10,11,13,21,31 और 32 के अन्तर्गत ₹ 2,374 करोड़ का व्यय बिना बजट प्रावधानों के किया गया। बिना बजट प्रावधान के व्यय वित्तीय अनियिमितताओं को दर्शाता है और वित्तीय नियमों के उल्लंघन को आकर्षित करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के स्वीकृति आदेश के आधार पर खजानों से ₹ 1,374 करोड़ की राशि आहरित की (नमूना जाँच के आधार पर परीक्षण) और इन राशियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खातों में स्थानांतरित किया। राज्य सरकार ने इस राशि को बजट प्रावधानों के विरूद्ध लेखों में व्यय के रूप में लिया। ₹ 1,374 करोड़ की राशि में राजस्व शीर्षों के अधीन ₹ 1,202 करोड़ तथा पूंजीगत शीर्षों के अधीन ₹ 172 करोड़ शामिल है।

चूंकि राज्य सरकार ने वास्तविक व्यय के प्रमाण के रूप में वाउचरों को उपलब्ध नही करवाया, प्रधान महालेखाकार (ले0व ह0) ने पूर्ण राशि ₹ 1,374 करोड़ को वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया है और राशि 'उचंत' के अधीन रखी गयी है जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 के विनियोग खाते के प्रासंगिक अनुदानों में संपूर्ण बचत हुई।

1.4 निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 3,444 करोड़ की राशि ली गई तथा ₹ 3,444 करोड़ वापिस किए गए।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेष में ₹ 0.55 करोंड़ से कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के पश्चात् ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

31 मार्च 2020 को राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 12 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 5,597 करोड़ था। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹ 4,147 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹ 1,578 करोड़) और आदि शेष तथा अन्त शेष में निवल बढौतरी (₹ 128 करोड़) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 30,742 करोड़) का लगभग 73 *प्रतिशत* वेतनों (₹ 11,477 करोड़), ब्याज-अदायगियों (₹ 4,234 करोड़), पैंशन (₹ 5,490 करोड़), उपदान (₹ 1,068 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 265 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ।

निधियों का स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

स्रोत

01 अप्रैल 2019 को आरम्भिक रोकड़ शेष	(-)50
राजस्व प्राप्तियां	30,742
पूंजीगत प्राप्तियां	2
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	21
लोक ऋण	10,847
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,835
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	2,405
प्राप्त जमा	4,016
चुकता किए गए सिविल अग्रिम	45
उचन्त लेखे	37,482*
सम्प्रेषण	7,735
योग	97,080

अनुप्रयोग

राजस्व व्यय	30,730
पूंजीगत व्यय	5,174
दिए गए ऋण	458
लोक ऋणो की अदायगी	6,701
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2,647
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	--
जमा चुकाए	3,842
दिए गए सिविल अग्रिम	45
उचन्त लेखे	39,766**
सम्प्रेषण	7,639
31 मार्च 2020 को अन्तिम रोकड़ शेष	78
योग	97,080

* ₹ 32,948 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

** ₹ 33,828 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

वास्तविक प्राप्तियां

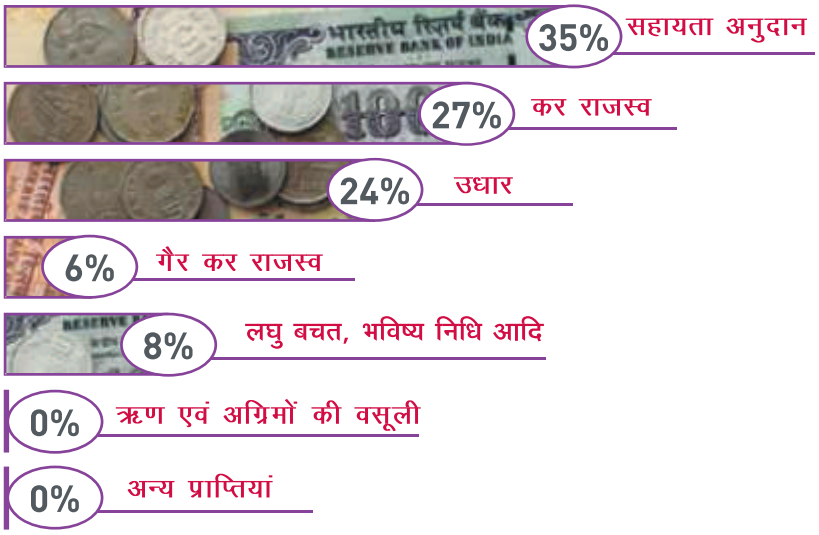

(ऋणों व अग्रिमों की वसूली केवल ₹ 21 करोड़ थी जो कि नगण्य थी अतः मूल्य शून्य दर्शाया गया है)

1.4.5 ₹ कहाँ गया

वास्तविक व्यय

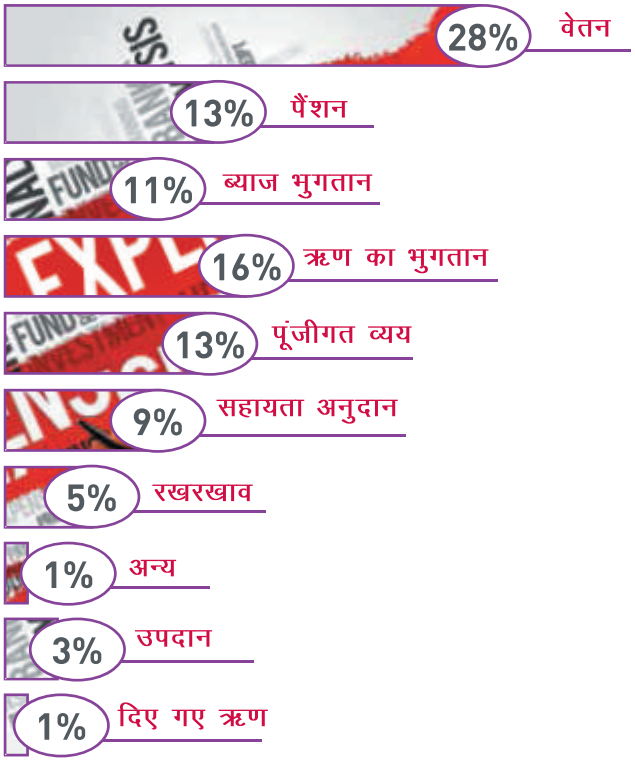

वर्ष 2019-20 में ₹ 12 करोड़ का राजस्व आधिक्य (वर्ष 2018-19 में ₹ 1,508 करोड़) तथा वर्ष 2019-20 में ₹ 5,597 करोड़ का राजकोषीय-घाटा (वर्ष 2018-19 में ₹ 3,512 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः शून्य *प्रतिशत* तथा 3 *प्रतिशत* है। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 15 *प्रतिशत* रहा ।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा/ आधिक्य

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा/ आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। यह अन्तर इसलिए यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ. आर. बी. एम.) अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ. आर. बी. एम.) अधिनियम, 2005 को लागू किया है । इसी अधिनियम के अन्तर्गत् राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अवधि में राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था।

वर्ष 2019-20 के दौरान अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य तथा नियमों की उपलब्धि निम्नलिखित थीः-

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	(आधिक्य) 12	वर्ष 2011-12 में समाप्त करना	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया
2	राजकोषीय घाटा	5,597	3.50 या कम	*3 प्रतिशत* (वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया
3	परादेय प्रतिभुतियां	1,947	गत वित्तिय वर्ष की राजस्व प्राप्ति के 40 *प्रतिशत* से कम	6 *प्रतिशत* (लक्ष्य को प्राप्त किया गया)

* सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 1,65,472 करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकार के आवश्यक उदघोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जोकि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत् विवरणो को दर्शाना अनिवार्य था।

वर्ष 2018-19 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 1,508 करोड़ था और वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 12 करोड़ हो गया जोकि एफ. आर. बी. एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप था । वर्ष 2018-19 में ₹ 3,512 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹ 2,085 करोड़ की वृद्वि के कारण चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹ 5,597 करोड़ रहा यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.38 *प्रतिशत* के बराबर था जो कि संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य 3.50 *प्रतिशत* के लक्ष्य के भीतर है। इसी प्रकार परादेय प्रतिभूतियों की राशि के लक्ष्य को पिछले वर्ष के सकल राजस्व प्राप्तियों के 40 *प्रतिशत* से कम बनाए रखना है जोकि 31 मार्च 2020 को ₹ 1,947 करोड़, पिछले वर्ष 2018-19 के सकल राजस्व प्राप्तियों (₹ 30,950 करोड़) की 6 *प्रतिशत* है।

1.5.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान

राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान

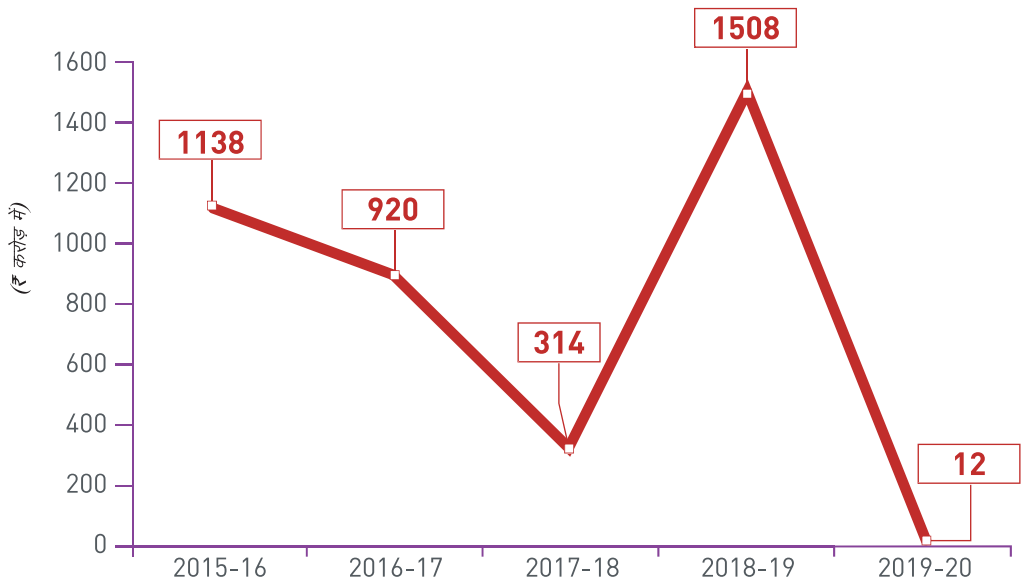

1.5.2 राजकोषीय घाटे का रूझान

राजकोषीय घाटे का रूझान

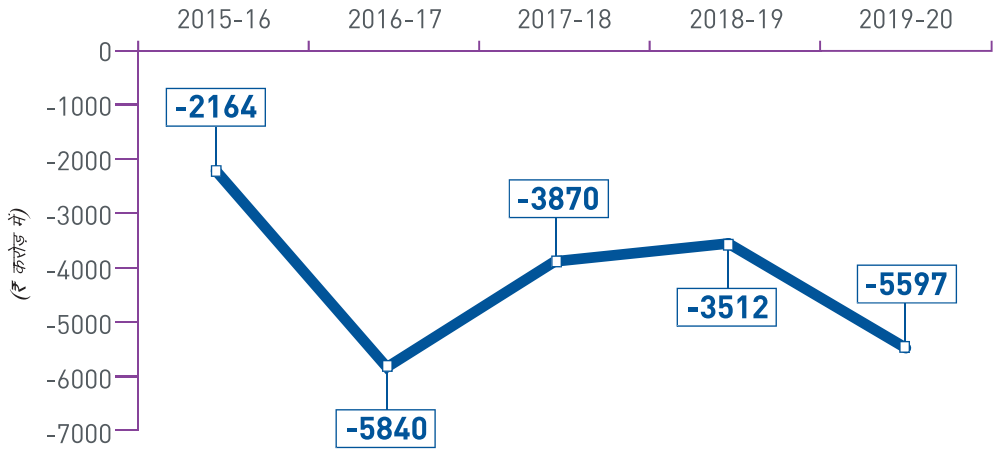

1.5.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2015-16	6,129	2,864
2016-17	8,603	3,499
2017-18	5,600	3,756
2018-19	6,427	4,583
2019-20	10,847	5,174

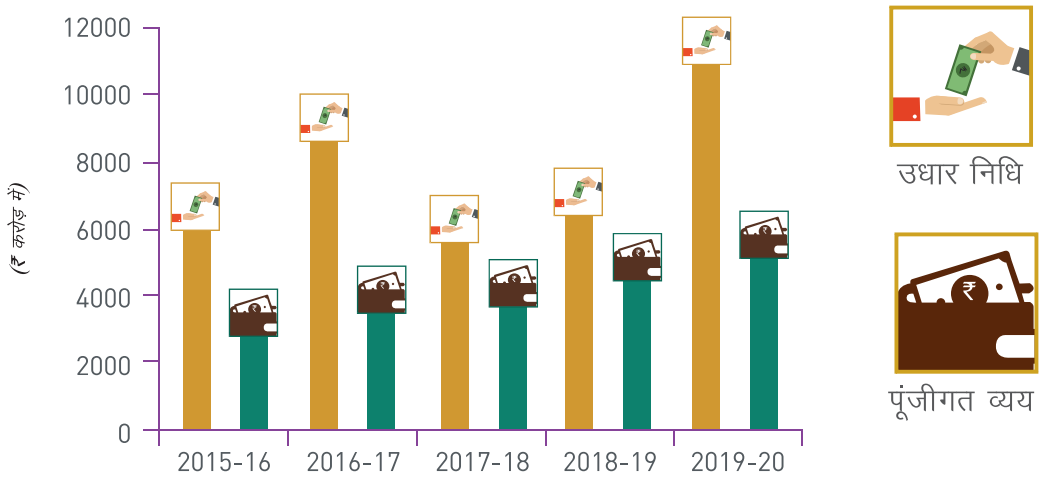

सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ांचे के निर्माण के लिए तथा पूंजीगत/परिसम्पतियों के निर्माण के लिए ऋण लेती है, अतएव ऋणों द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके । इस प्रकार पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु ऋणों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापिसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल आपेक्षित है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केवल पूंजीगत व्यय पर ₹ 5,174 करोड़ का खर्च किया गया है जो चालू वर्ष का गृहित-निधि ₹ 10,847 करोड़ का केवल 48 *प्रतिशत* था । अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उद्यार का पिछले वर्षो के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया गया है ।

अध्याय II

प्राप्तियां

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है । वर्ष 2019-20 में कुल प्राप्तियां ₹ 36,362 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं :- कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदान सहायता अनुदान।

कर राजस्व

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होते है।

गैर कर-राजस्व

ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते है।

सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं । इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध "वैदेशिक सहायता अनुदान" भी शामिल है । बदले में , राज्य- सरकार पंचायती राज संस्थान , स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है ।

राजस्व-प्राप्तियां

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2019-20)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकडे	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
*क. कर-राजस्व **	**12,301**	**40**
माल व सेवाओं पर कर	4,878	16
आय व व्यय पर कर	2,844	9
सम्पत्ति, पूंजीगत तथा अन्य लेनदेनों पर कर	264	1
माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	4,315	14
ख. गैर कर-राजस्व	**2,501**	**8**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	494	2
सामान्य सेवाएं	196	1
सामाजिक सेवाएं	390	1
आर्थिक सेवाएं	1,421	4
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	**15,940**	**52**
कुल राजस्व प्राप्तियां	**30,742**	**100**

*इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश सम्मिलित है।

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	6,696 (6)	7,039 (6)	7,108 (5)	7,573 (5)	7,624 (5)
संघ के करों/ शुल्कों में राज्य का हिस्सा	3,611 (3)	4,344 (3)	4,801 (3)	5,429 (4)	4,677 (3)
गैर कर-राजस्व	1,837 (2)	1,717 (1)	2,364 (2)	2,830 (2)	2,501 (2)
सहायता अनुदान	11,296 (10)	13,164 (11)	13,094 (10)	15,118 (10)	15,940 (10)
कुल राजस्व प्राप्तियां	**23,440 (21)**	**26,264 (21)**	**27,367 (20)**	**30,950 (20)**	**30,742 (19)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**1,10,511**	**1,24,570**	**1,35,914**	**1,51,835**	**1,65,472**

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं । (सकल राज्य घरेलु उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरो पर हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये है।)

हांलाकि वर्ष 2019-20 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में कमी केवल 1 *प्रतिशत* ही थी । कर राजस्व 5 *प्रतिशत* तक बढ़ा जबकि गैर कर-राजस्वों में 12 *प्रतिशत* तक की कमी देखी गयी तथा सहायता अनुदान में पिछले वर्ष के मुकाबले 5 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गयी, जिस से राज्य की राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकुल असर पड़ा।

राजस्व प्राप्तियों का रूझान

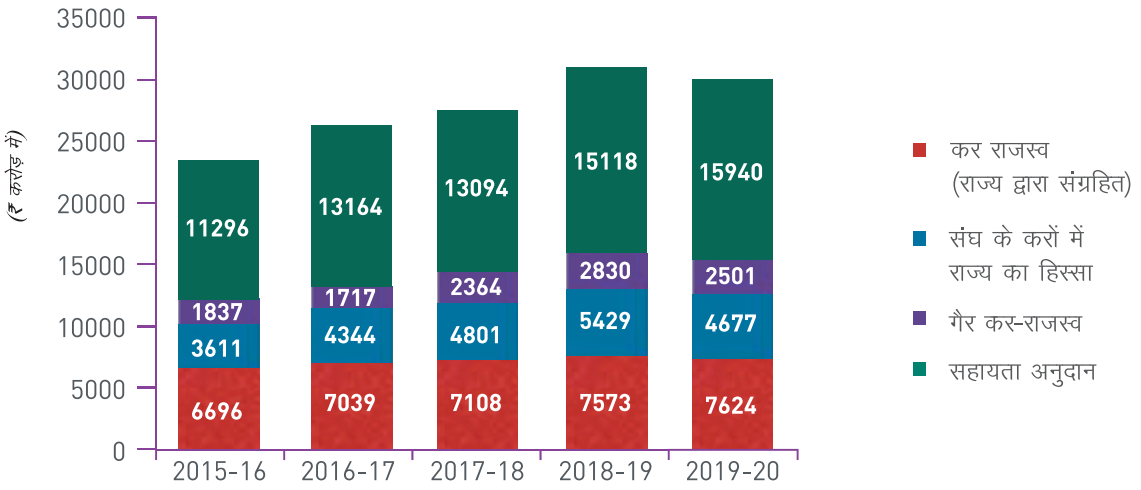

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियां					
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
क. माल व सेवाओं पर कर	*	*	2,386 (2)	4,790 (3)	4,878 (3)
ख. आय व व्यय पर कर	1,922 (2)	2,362 (2)	2,713 (2)	3,289 (2)	2,844 (2)
ग. सम्पत्ति, पूंजीगत तथा अन्य लेनदेनों पर कर	213 --	220 ...	246 ...	259 ...	264 ...
घ. माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	8,172 (7)	8,801 (7)	6,564 (5)	4,664 (3)	4,315 (3)
कुल कर राजस्व	10,307 (9)	11,383 (9)	11,909 (9)	13,002 (9)	12,301 (7)
जी एस डी पी	1,10,511	1,24,570	1,35,914	1,51,835	1,65,472

टप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।
** लागु नहीं*

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल राजस्व कर में कमी मुख्यतः रूप से भारत सरकार से राज्य हिस्सेदारी का कम आबंटन और कॉरपॉरेशन कर (₹ 1,595 करोड़), भू-राजस्व (₹ 5 करोड़) सीमा शूल्क (₹ 296 करोड़) और सेवाकर (शून्य) की कम उगाही है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों का रूझान

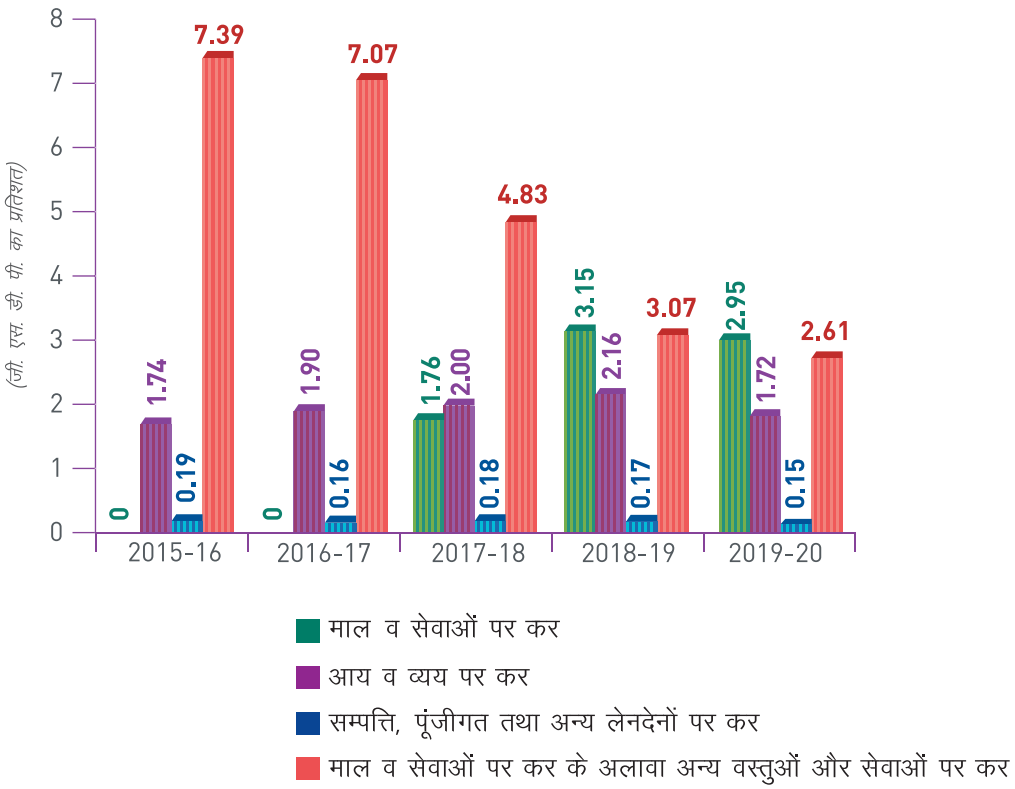

2.3.1 राज्य का निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व दो स्त्रोतों से आता हैं :- राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों में राज्य का अंश।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों/ शुल्क में राज्य का अंश	राज्य द्वारा निजी कर राजस्व	
			कर राजस्व	जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015-16	10,307	3,611	6,696	6.06
2016-17	11,383	4,344	7,039	5.65
2017-18	11,909	4,801	7,108	5.23
2018-19	13,002	5,429	7,573	4.99
2019-20	12,301	4,677	7,624	4.61

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षो के दौरान कर राजस्व के दो मुख्य स्त्रोतों की आय को दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य का निजी कर संग्रहण	6,696	7,039	7,108	7,573	7,624
संघीय करों में राज्य का अंश	3,611	4,344	4,801	5,429	4,677
कुल कर राजस्व	**10,307**	**11,383**	**11,909**	**13,002**	**12,301**
सकल कर राजस्व में राज्य के निजी कर का *प्रतिशत*	*65*	*62*	*60*	*58*	*62*

राज्य के अपने कर संग्रहण के अनुपात में कर राजस्व वर्ष 2016-17 में घटकर 62 *प्रतिशत* और 2017-18 में घटकर 60 *प्रतिशत* और 2018-19 में घटकर 58 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2019-20 में दोवारा बढकर 62 *प्रतिशत* दर्ज हुआ।

2.3.2 पिछले पाँच वर्ष के दौरान राज्य के निजीकर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य वस्तु तथा सेवा कर	*	*	1,833	3,343	3,550
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,993	4,382	2,526	1,185	1,169
राज्य आबकारी शुल्क	1,131	1,308	1,311	1,482	1,660
वाहनों पर कर	317	280	367	408	466
स्टॉंप और पंजीकरण शुल्क	206	209	229	251	260
विद्युत पर कर एवं शुल्क	551	372	361	487	101
भूमि राजस्व	7	8	17	8	5
माल एवं यात्रियों पर कर	115	121	112	104	104
अन्य कर	376	359	352	305	309
कुल: राज्य का निजी कर	**6,696**	**7,039**	**7,108**	**7,573**	**7,624**

* लागू नहीं

2.4 कर वसूली में लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	3,993	4,382	2,526	1,185	1,169
संग्रहण पर व्यय	4	4	7	2	35
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	0.10	0.09	0.28	0.17	2.99
2. राज्य आबकारी शुल्क					
राजस्व वसूली	1,131	1,308	1,311	1,482	1,660
संग्रहण पर व्यय	4	6	6	6	7
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	0.35	0.46	0.46	0.40	0.42
3. वाहन, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर					
राजस्व वसूली	432	401	479	512	570
संग्रहण पर व्यय	41	42	48	53	48
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	9.49	10.47	10.0	10.35	8.42
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व वसूली	206	209	229	251	260
संग्रहण पर व्यय	2	23	8	9	20
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	0.97	11.00	3.49	3.59	7.69

अन्य करो के मुकाबले वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर एवं स्टॉप तथा पंजीकरण शुल्क के संग्रहण पर व्यय अधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर (सी जी एस टी)	*	*	68	1340	1,327
एकीकृत वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर (आई जी एस टी)	*	*	485	107	शून्य
निगम कर	1,136	1,394	1,471	1,888	1,595
आय तथा व्यय पर अन्य कर	*	*	*	10	शून्य
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	787	968	1,242	1,391	1,250
सम्पत्ति कर	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य
सीमा शुल्क	579	600	485	385	296
संघीय आबकारी शुल्क	484	684	506	256	206
सेवा कर	622	695	544	49	शून्य
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3	शून्य	शून्य	3	3
संघीय करों /शुल्क में राज्य का अंश	**3,611**	**4,344**	**4,801**	**5,429**	**4,677**
कुल कर राजस्व	**10,307**	**11,383**	**11,909**	**13,002**	**12,301**
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	35	38	40	42	38

* लागू नहीं

हिमाचल प्रदेश सरकार को वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान, कुल कर राजस्व का 35 *प्रतिशत* से 42 *प्रतिशत* हिस्सा, सभी बाँटने योग्य संघ करों की निवल आंगम से प्राप्त हो रहा है ।

2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों , वित- आयोग अनुदान तथा राज्य/विधायीका वाले केन्द्रशासित प्रदेशो हेतु अन्य अन्तरण/अनुदान।

वर्ष 2019-20 के दौरान सहायता-अनुदान के अधीन कुल प्राप्तियां ₹ 15,940 करोड़ थी, जैसा निम्न दर्शाया गया है :-

सहायता अनुदान

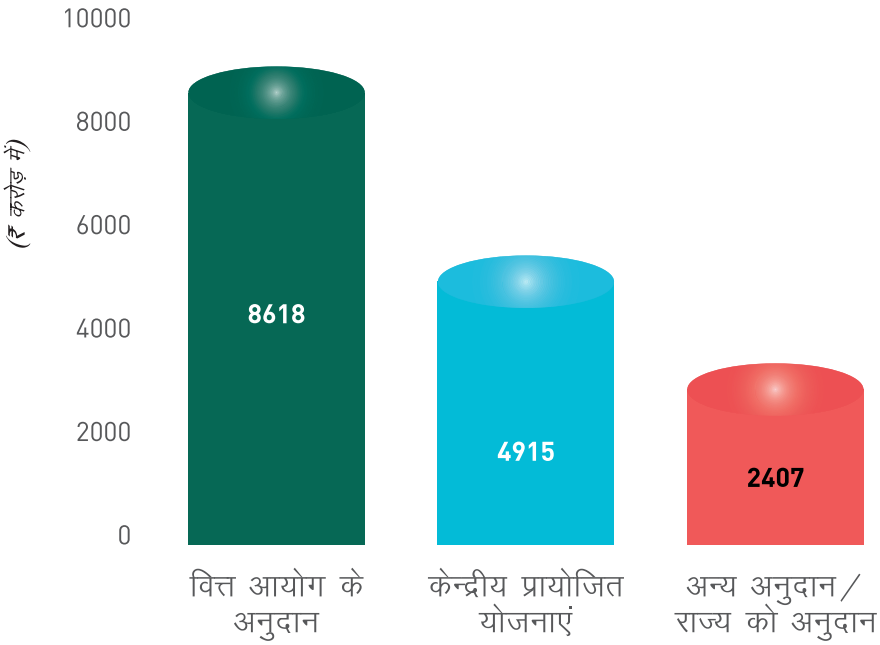

सहायता अनुदान का रूझान

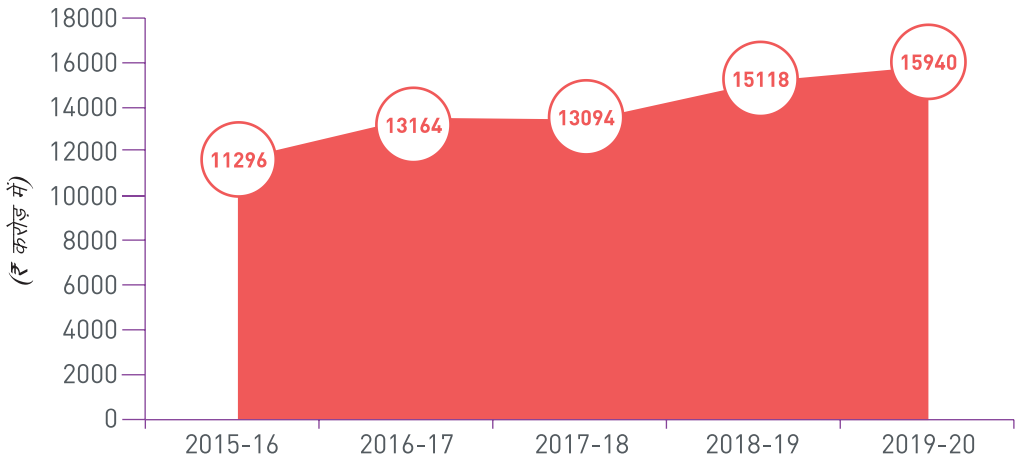

2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आन्तरिक ऋण	26,861	31,494	33,592	35,363	39,528
केन्द्रीय ऋण	1,049	1,076	1,079	1,062	1,044
कुल जोड़	27,910	32,570	34,671	36,425	40,572

वर्ष 2019-20 में ₹ 6,580 करोड़ के 17 ऋण 6.29 *प्रतिशत* से 8.20 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो वर्ष 2022-2035 के बीच में प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 753 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 3,444 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल आन्तरिक ऋण ₹ 10,777 करोड़ लिया गया। सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 70 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया।

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना

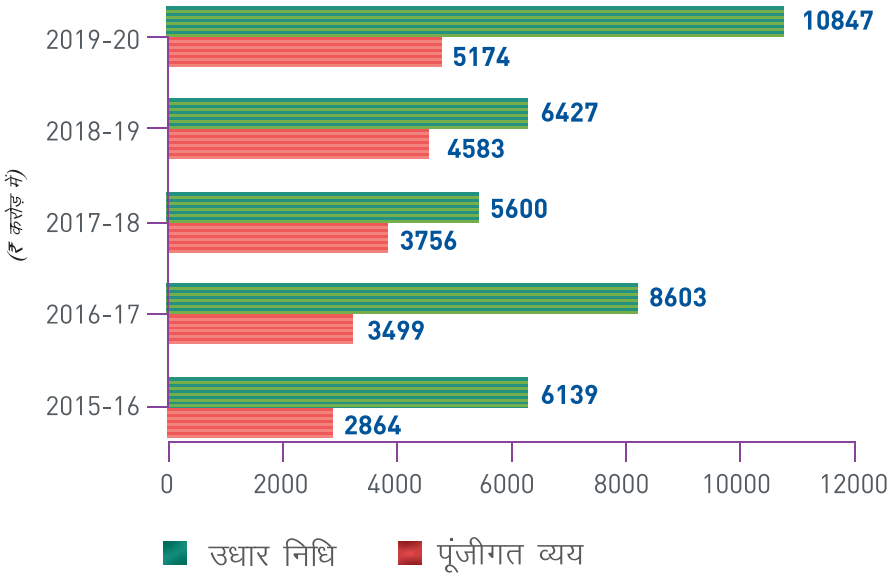

अध्याय III

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यय को और आगे योजनागत तथा योजनेतर के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा जा सकता है:- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

सामान्य सेवाएं	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, ब्याज, पैन्शन इत्यादि
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, जल वितरण इत्यादि
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग , परिवहन इत्यादि

3.2 राजस्व व्यय

बजट प्राक्कलनों के सम्मुख राजस्व व्यय में कमी, जो बिगत पाँच वर्षों के दौरान हुआ, को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल राजस्व व्यय	23,488	26,746	28,756	33,568	36,337
वास्तविक आंकड़े	22,303	25,344	27,053	29,442	30,730
अन्तर	(-)1,185	(-)1,402	(-)1,703	(-)4,126	(-)5,607
बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	(-)5	(-)5	(-)6	(-)12	(-)15

स्त्रोतः संबधित वर्ष के विनियोग लेखे

राजस्व व्यय का लगभग 73 *प्रतिशत* वेतन व मजदूरी (₹ 11,742 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 4,234 करोड़), पैंशन (₹ 5,490 करोड़) तथा उपदान (₹ 1,068 करोड़) पर किया गया जो कि राज्य सरकार की 'प्रतिबद्ध व्यय' थी।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल राजस्व व्यय	22,303	25,344	27,053	29,442	30,730
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	16,511	17,919	20,170	21,490	22,534
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	*74*	*71*	*75*	*73*	*73*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	5,792	7,425	6,883	7,952	8,196

प्रतिबद्ध राजस्व ब्याज में वेतन व मजदूरी, ब्याज, भुगतान पैंशन तथा अनुदान सम्मिलित हैं।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिवद्ध राजस्व व्यय में वर्ष 2015-16 में ₹ 5,792 करोड़ से वर्ष 2019-20 में ₹ 8,196 करोड़ 42 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई । कुल राजस्व व्यय में वर्ष 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ से वर्ष 2019-20 में ₹ 30,730 करोड़ 38 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 36 *प्रतिशत* का आवर्धन हुआ ।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2019-20)

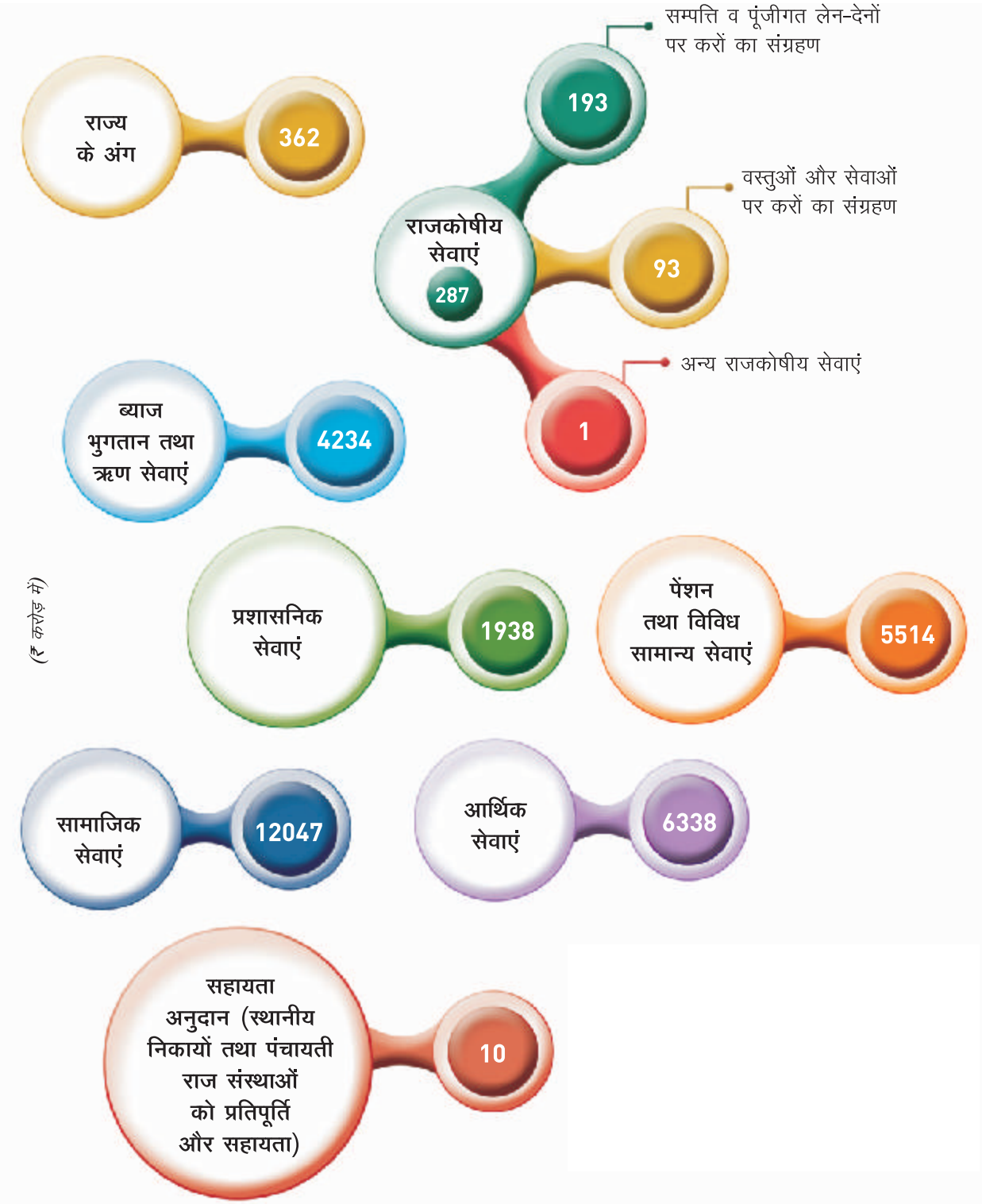

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक 2015-16 से 2019-20

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएं	8,789	9,728	11,019	11,439	12,335
सामाजिक सेवाएं	7,980	9,610	10,337	11,482	12,047
आर्थिक सेवाएं	5,524	5,996	5,697	6,512	6,338
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10	10	10	9	10

राजस्व व्यय के मुख्य घटको का रूझान

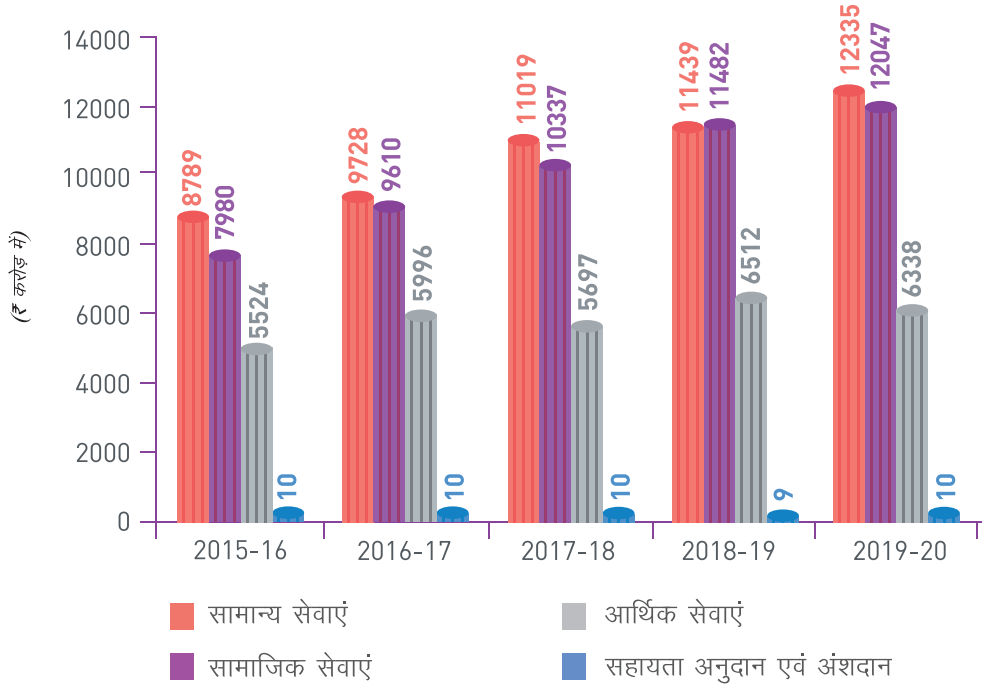

3.3 पूंजीगत व्यय

यदि वृद्धि प्रक्रिया लगातार बने रहती है तो पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019-20 में ₹ 5,174 करोड़ के पूंजीगत संवितरण (जी. एस. डी. पी. के 3 *प्रतिशत*) बजट प्राक्कलनों से ₹ 769 करोड़ कम थे (योजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹ 662 करोड़ का कम संवितरण तथा योजनेतर व्यय के अधीन ₹ 107 करोड़ का कम व्यय)। नीचे सारणी से यह प्रतीत होता है :-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	बजट प्राक्कलन	2,951	3,190	3,475	4,240	5,943
2	वास्तविक व्यय (#)	2,864	3,499	3,756	4,583	5,174
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	97	110	108	108	87
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक बढौतरी की प्रतिशतता	16	22	7	22	13
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,10,511	1,24,570	1,35,914	1,51,835	1,65,472
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक बढौतरी की प्रतिशतता	16	13	9	12	9

पूंजीगत परिव्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2019-20 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न सिचाई परियोजनाओं पर ₹ 365 करोड़ का व्यय किया गया। (₹ 280 करोड़ लघु सिंचाई तथा मध्यम सिंचाई पर ₹ 85 करोड़)। उपरोक्त के अलावा सरकार ने सड़कों तथा भवनों के निर्माण पर ₹ 2,205 करोड़ का खर्च किया तथा सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹ 118 करोड़ , सरकारी अन्य कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 296 करोड़, का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी समितियों व बैंकों के द्वारा ₹ 2 करोड़, की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2. विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है

विगत पांच वर्षो में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएं	88 (3)	208 (3)	192 (5)	227 (4)	204 (4)
सामाजिक सेवाएं	792 (24)	1,041 (15)	11,35 (27)	1,187 (24)	1,258 (22)
आर्थिक सेवाएं	1,984 (60)	2,250 (33)	2,429 (57)	3,169 (63)	3,712 (66)
ऋण और अग्रिम	463 (14)	3,290 (48)	503 (12)	468 (9)	458 (8)

टिप्पणी : कोष्ठको में आंकडे कुल पूंजीगत व्यय पर *प्रतिशत* का प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं ।

पूंजीगत व्यय के क्षेत्रवार विवरण का रूझान

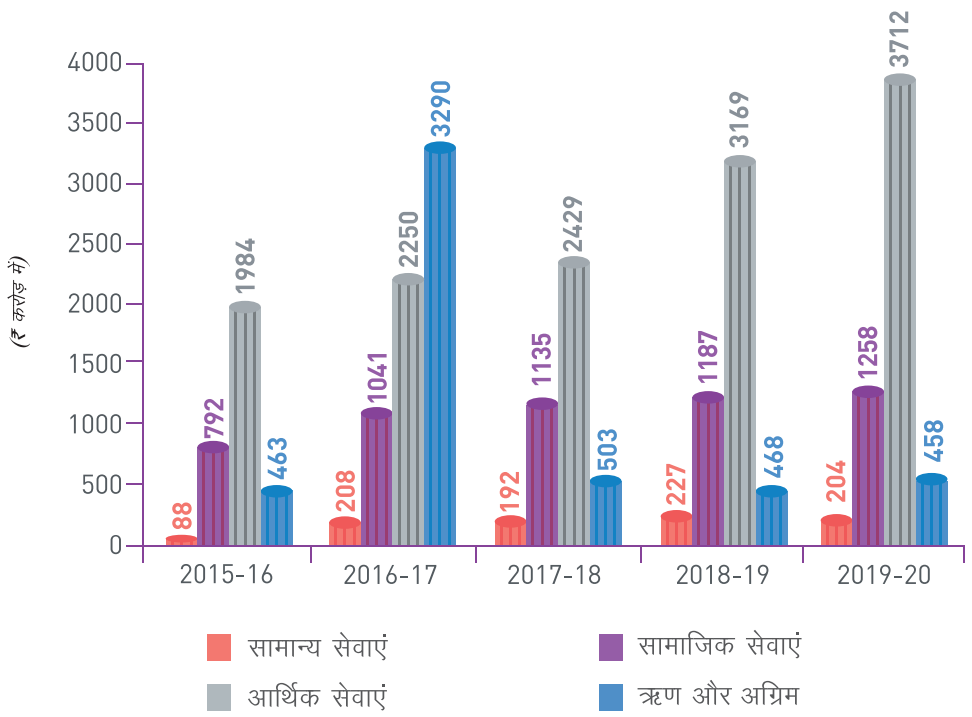

3.3.3. पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षो में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	खण्ड		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
क	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	88	208	192	227	204
		राजस्व	8,789	9,728	11,019	11,439	12,335
ख	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	792	1,041	1,135	1,187	1,258
		राजस्व	7,980	9,610	10,337	11,482	12,047
ग	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	1,984	2,250	2,429	3,169	3,712
		राजस्व	5,524	5,996	5,697	6,512	6,338
घ	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	*	*	*	*	*
		राजस्व	10	10	10	9	10

* लागू नहीं

अध्याय IV

योजनागत तथा योजनेतर व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2019-20)

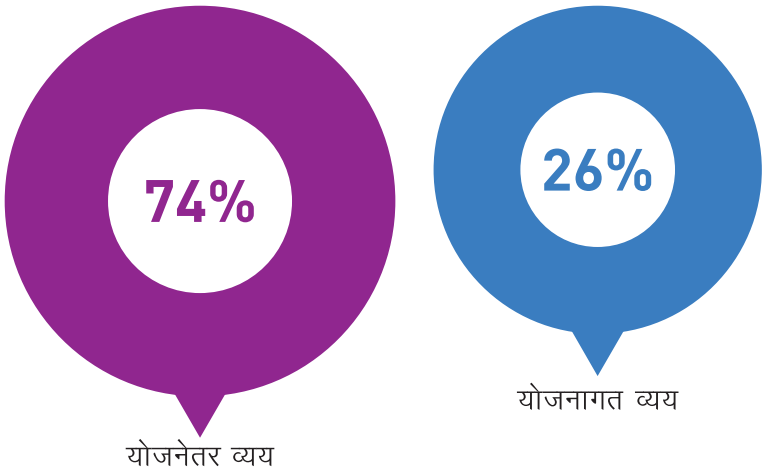

4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान योजनागत व्यय (दोनों राजस्व, पूंजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम) ₹ 9,296 करोड़ था जोकि कुल व्यय ₹ 36,362 करोड़ का 26 *प्रतिशत* है, इसमें राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 5,549 करोड़ केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ₹ 3,747 करोड़ है ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में योजनागत व्यय की प्रतिशतता

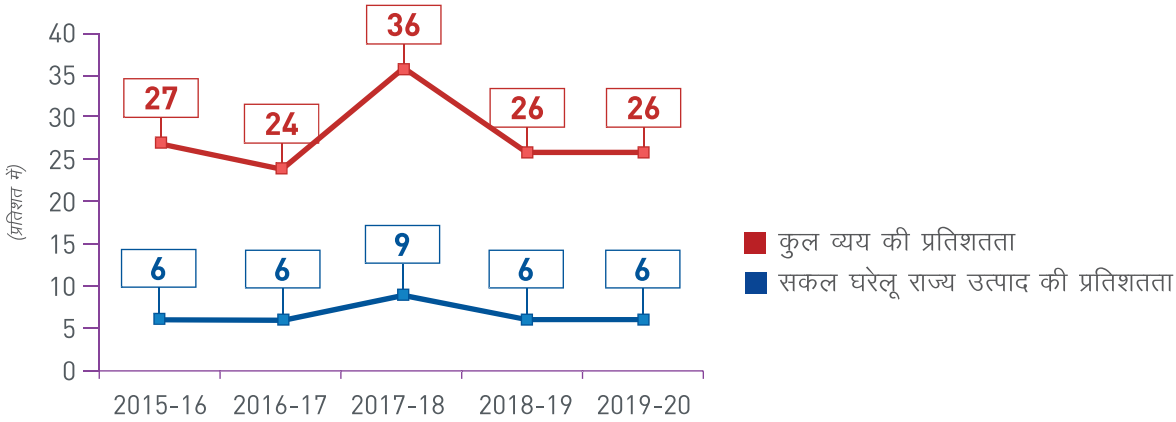

राजस्व-क्षेत्र के अधीन योजनागत व्यय में 2018-19 में ₹ 4,263 करोड़ से वर्ष 2019-20 में ₹ 4,028 करोड़, 6 *प्रतिशत* तक की कमी हुई । पूंजीगत क्षेत्रों में यह वृद्धि वर्ष 2018-19 में ₹ 4,103 करोड़ से बढकर वर्ष 2019-20 में ₹ 4,820 करोड़ तक 17 *प्रतिशत* रही । केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना (राजस्व ₹ 1,908 करोड़ तथा पूंजीगत ₹ 1,815 करोड़) में योजनागत व्यय पर वर्ष 2018-19 में ₹ 3,346 करोड़ से वर्ष 2019-20 में ₹ 3,723 करोड़ हो गया ।

4.2.1 पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत योजनागत व्यय

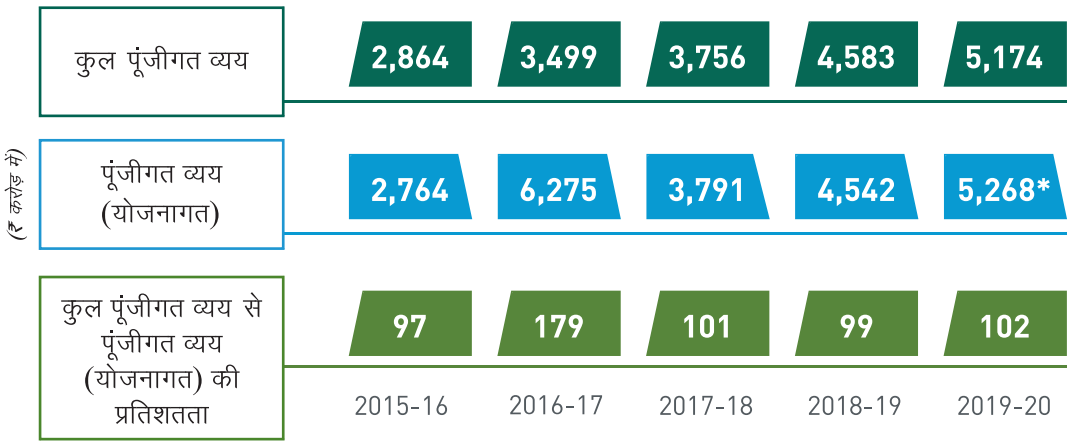

*ऋणों व अग्रिम के ₹448 करोड़ शामिल है।

4.2.2 ऋणों तथा अग्रिमों पर योजनागत व्यय

ऋणों व अग्रिम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संवितरण निम्न प्रकार से है :

मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	उद्देशय
6425 सहकारिता के लिए ऋण	24	एकीकृत सरकारी विकास परियोजना
6801 विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	423	विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को ऋण
7610 सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि-	1	सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम
योग	448	

4.3 आयोजनेतर व्यय

वर्ष 2019-20 का आयोजनेतर व्यय ₹ 27,066 करोड़ (दोनों राजस्व, पूंजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम) जो कि कुल व्यय ₹ 36,362 करोड़ का 74 *प्रतिशत* था । इसमें राज्य आयोजनेतर के अन्तर्गत ₹ 26,519 करोड़ केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय आयोजनेतर योजना ₹ 537 करोड़ एवं ऋण व अग्रिम ₹ 10 करोड़ था । वेतन तथा मजदूरी पर खर्च ₹ 11,742 करोड़ कुल आयोजनेतर व्यय का 43 *प्रतिशत* था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में आयोजनेतर व्यय की प्रतिशतता

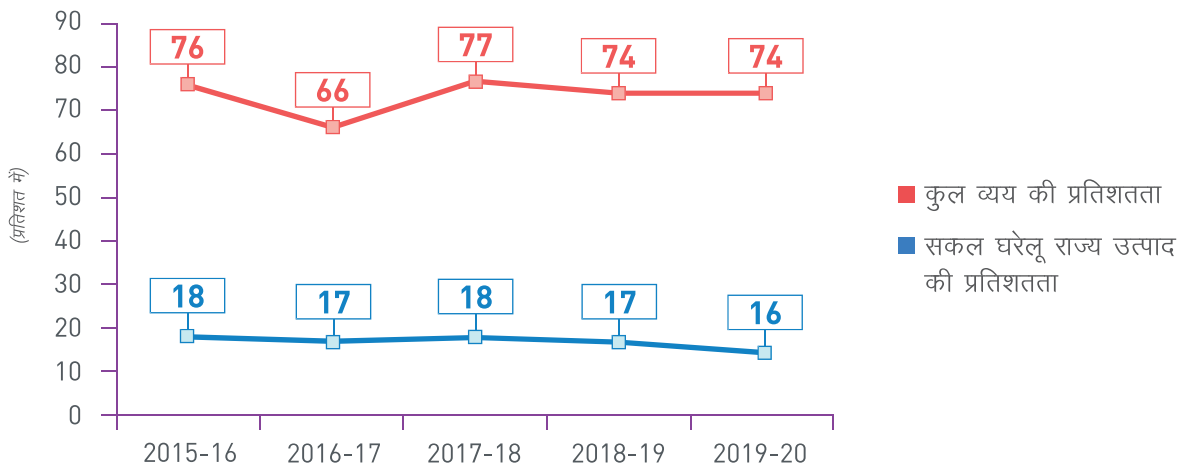

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले वेतन, पैंशन तथा ब्याज पर व्यय में वृद्धि हुई जो मुख्यतः वेतन तथा पैंशन के पुनर्निधारण के कारण हुई।

प्रतिबद्ध व्यय का रूझान

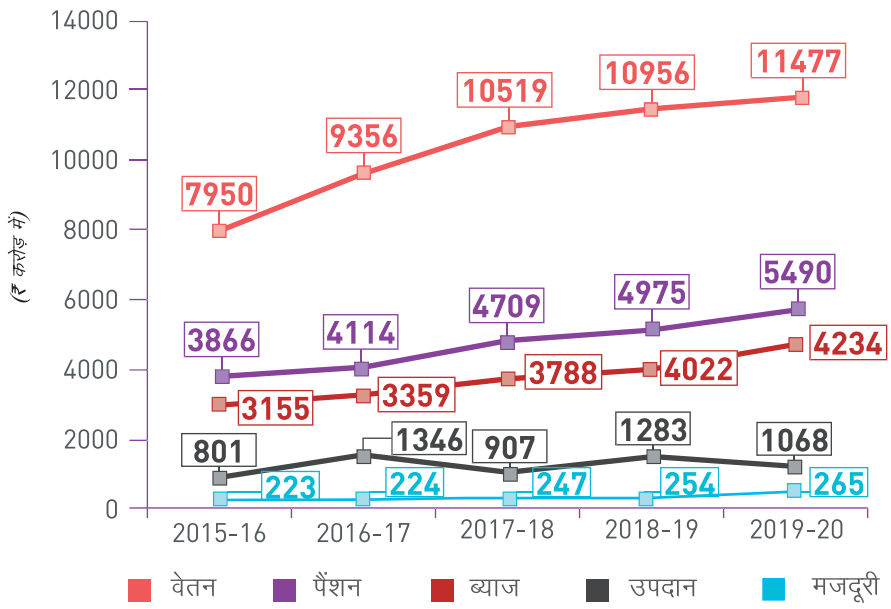

विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रतिबद्ध व्यय के साथ तुलनात्मक रूझान निम्न प्रकार से है।

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्रतिबद्ध व्यय	16,511	17,919	20,170	21,490	22,534
राजस्व व्यय	22,303	25,344	27,053	29,442	30,730
राजस्व प्राप्तियां	23,440	26,264	27,367	30,950	30,742
कुल राजस्व प्राप्तियों से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	70	68	74	69	73
कुल राजस्व व्यय से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	74	71	75	73	73

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक प्रतिबद्ध व्यय में बढोतरी 36 *प्रतिशत* रही, जबकि उसी समय में राजस्व व्यय में बढोतरी 38 *प्रतिशत* रही जिस कारण विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार के पास कम धन उपलब्ध रहा ।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निवल)	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व** दत्तमत *प्रभारित*	31,471 *4,619*	1,098 *18*	5,754 *18*	26,815 *4619*	26,427 *4304*	(-)388 *(-)315*
2.	**पूंजीगत** दत्तमत *प्रभारित*	4,578 *2*	1,293 *113*	650 *1*	5,221 *114*	5,280 *16*	(+)59 *(-)98*
3.	**लोक ऋण** *प्रभारित*	*3,262*	*3,439*	--	*6,701*	*6,701*	--
4.	**ऋण एवं अग्रिम** दत्तमत *प्रभारित*	457 --	257 --	301 --	413 --	458 --	(+)45 --
	योग दत्तमत *प्रभारित*	**36,506** ***7,883***	**2,648** ***3,570***	**6,705** ***19***	**32,449** ***11,434***	**32,165** ***11,021***	**(-)284** ***(-)413***

5.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान

(₹ करोड़ में)

बचत (-) आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2015-16	(+)31	(+)35	(+)2,319	(+)138	**(+)2,523**
2016-17	(-)2,544	(+)69	(+)56	(+)2,889	**(+)470**
2017-18	(+)204	(-)100	--	(+)10	**(+)114**
2018-19	(+)252	(+)4	(+)51	(+)58	**(+)365**
2019-20	(-)703	(-)39	--	(+)45	**(-)697**

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, कुछ निश्चित स्कीमों/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन को दर्शाती है।

निरन्तर तथा महत्वपूर्ण बचत वाले एक करोड़ से अधिक कुछ अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	विधान सभा	--	--	3	3	1
2	राज्यपाल/मन्त्री परिषद	--	--	--	3	5
3	न्याय प्रशासन	13	15	12	33	54
4	सामान्य प्रशासन	17	13	14	21	78
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	--	87	--	--	659
6	आबकारी एवं कराधान	4	2	7	14	14
7	पुलिस और सम्बन्ध संगठन	73	51	82	147	233
8	शिक्षा	1,076	866	665	981	1,141
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	367	299	216	340	403
10	लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन	78	46	42	283	1,018
11	कृषि	38	27	11	75	42
12	उद्यान	--	--	103	19	80
13	सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	--	--	119	152	180
14	पशुपालन, डेरी विकास एवं मत्स्य	35	35	45	74	75
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	31	47	30	32	138
16	वन और वन्य जीवन	33	61	88	131	152
17	निर्वाचन	--	--	--	--	11
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रद्यौगिकी	12	9	11	119	120
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	47	25	60	32	114
20	ग्रामीण विकास	209	122	403	390	357
21	सहकारिता	8	10	3	4	4
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	48	41	55	--	5
23	विद्युत विकास	1	146	383	185	286
24	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	--	--	--	--	2
25	सड़क एवं जल परिवहन	1	1	2	2	31
26	पर्यटन	--	--	--	--	85
27	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	64	77	206	40	40
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	--	42	25	119	93
29	वित्त	229	87	304	1,185	1,535
30	विभिन्न सामान्य सेवाएं	14	14	8	13	18
31	जनजातीय विकास	123	198	301	408	466
32	अनुसूचित जाति उपयोजना	32	420	236	545	745

वित्त, शिक्षा, लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन, अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भू-राजस्व और जिला प्रशासन के अधीन निरन्तर व्यापक बचत, स्कीमों को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विद्यायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बजट-प्राकलन में बढौतरी करके या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने हेतू सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान अनुपूरक अनुदान की कुल राशि ₹ 6,736 करोड़ (₹ 45,528 करोड़ कुल व्यय का 15 *प्रतिशत*) कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुई । वर्ष के अन्त में मूल बजट के विरूद्ध हुई बचत के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
10	5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय- 04- जिला एवं अन्य सड़क- 337- सड़क निर्माण कार्य- 15- मध्यस्थता मामलों के भुगतान (सड़के एवं पुल)-	पूंजीगत	0	35	0
23	6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण- 190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण- 02- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को ऋण-	पूंजीगत	0	50	0
26	3452-पर्यटन- 80-सामान्य- 001-निदेशन तथा प्रशासन- 03- पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम-	राजस्व	52	3	0

अनुपूरक अनुदान के आबंटन के बाबजूद भी वर्ष के अन्त में व्यय के आधिक्य के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
23	6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण- 190-सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को ऋण 02- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को ऋण-	पूंजीगत	94	180	369
27	2230-श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास- 03-प्रशिक्षण- 003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 11- विश्व बैक ने औद्योगिक मूल्य संवर्धन कार्यकम के लिए कौशल को मजबूत करने के लिए परियोजना की मदद की-	राजस्व	0	0.89	1.37

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
28	2215-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास- 02-मल व्यवस्था तथा स्वच्छता 105-स्वच्छता सेवाएं 04- मुरम्मत और रखरखाव-	राजस्व	3.50	0.0001	11
28	4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 02-मल व्यवस्था तथा स्वच्छता 106-मल व्यवस्था सेवाएं 02- विभिन्न जिलों में जलोस्तर मल व्यवस्था योजना-	पूंजीगत	30	34	64

बजट प्रावधान के ₹ 908 करोड़ पांच अनुदानों अर्थात अनुदान संख्या 11,13,22,29 व 32 में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन के जरिए किया गया जबकि राशियाँ वास्तविक/पूरक बजट अनुमानों के जरिए प्राप्त करने की आवश्यकता थी। बिना प्रावधानों के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश के बजट नियमावली के पैरा 12.5 में शामिल प्रावधानों का उल्लंघन था। छः मामले जहां विधायिका को अनदेखा करते हुए निधियां सीधे आबटित की गयी अर्थात वास्तविक/पूरक बजट के बजाए पुनर्विनियोजन के जरिए, नीचे दर्शायी गयी हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
11	2401- फसल कृषि कर्म- 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण- 32- राष्ट्रीय बांस मिशन-	राजस्व	0	0	2	2
22	2408-खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार- 01-खाद्य- 102-खाद्य सहायता 13- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं और चावल पर उपदान-	राजस्व	0	0	7	8
29	2071-पैन्शन तथा अन्य सेवा निवृति हितलाभ- 01-सिविल- 101-अधिवर्षिता तथा सेवानिवृति भत्ते- 02- 01.11.1966 से पहले सेवानिवृति	राजस्व	0	0	0.0068	0

कुछ एक उदाहरण जहा बजट अनुपूरक मांग से प्राप्त किया गया तथा सम्पूर्ण अभ्यर्पित किया गया है:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
03	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन- 051- सामान्य पूल आवास निर्माण हेतु- 15-न्यायपालिका संरचना का उत्थान-	पूंजीगत	0	1	1	0
04	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 60- अन्य भवन 051-निर्माण 05- दिल्ली में राज्य अतिथि घर का निर्माण-	पूंजीगत	0	21	21	0
07	2055- पुलिस- 101-आपराधिक जांच तथा सतर्कता- 02- राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली-	राजस्व	0	1	1	0
09	2210-चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य- 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105- एलोपैथी- 17- डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा में जराचिकित्सा केन्द्र-	राजस्व	0	5	5	0
19	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- 02- सामाजिक कल्याण- 107-स्वैच्छिक संगठनों को सहायता- 09-वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना-	राजस्व	0	0.75	0.75	0

अध्याय VI

परिसम्पतियां तथा दायित्व

6.1 परिसम्पतियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन को, अर्जन/खरीद के विभेद के सिवाय, इतनी सुगमता से नहीं दर्शाता । इसी प्रकार जैसाकि लेखे चालू-वर्ष के प्रतिवद्धता के प्रभाव को प्रदर्शित करते है, पर वे भावी पीढी पर दायित्वों पर समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते।

गैर वित्तिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी0 एस0 यू0) में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश वर्ष 2019-20 के अन्त में ₹ 322 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान कुल निवेश (₹ 4,261 करोड़) पर प्राप्त लाभाँश ₹ 248 करोड़ (6 *प्रतिशत*) प्राप्त हुआ। वर्ष 2019-20 के अन्त तक निवेश में ₹ 413 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि लाभाँश में ₹ 67 करोड़ की वृद्धि हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 01 अप्रैल 2019 को ₹ (-) 50 करोड़ था जो मार्च 2020 के अन्त तक बढकर ₹ 78 करोड़ हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में सरकार ने 114 तात्कालिक अवसरो पर ₹ 32,644 करोड़ 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 1,184 करोड़ 91 दिनों के खजाना बिलों तथा 189 अवसरों पर ₹ 31,764 करोड़ रिडिस्काउंट किया तथा ₹ 1,184 करोड़ के मूल्य 91 दिनों के खजाना बिलों का 1 अवसर पर पुनः बटटा चुकाया । नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश की स्थिति को दर्शाया गया है।

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2019 को शेष	2019-20 के दौरान खरीद	2019-20 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2020 को अन्तिम शेष
103	33,827	32,948	982

6.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2019-20 के लिए सीमा ₹ 6,589 करोड़ थी। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले बाजार से ₹ 6,580 करोड़ की उधारी की ।

लोक ऋणों तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्व का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*	लोक लेखा*	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*	कुल दायित्व	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*
2015-16	27,910	25	13,287	12	41,197	37
2016-17	32,570	26	14,674	12	47,244	38
2017-18	34,671	26	16,360	12	51,031	38
2018-19	36,425	24	17,874	12	54,299	36
2019-20	40,572	25	21,640	13	62,212	38

(*) उचन्त तथा सम्प्रेषण शेष रहित ।
टिप्पणी: आंकड़े वर्ष के अन्त के उतरोत्तर शेष है।

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पिछले वर्ष से ₹ 7,913 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गयी।

सरकारी दायित्वों का रूझान

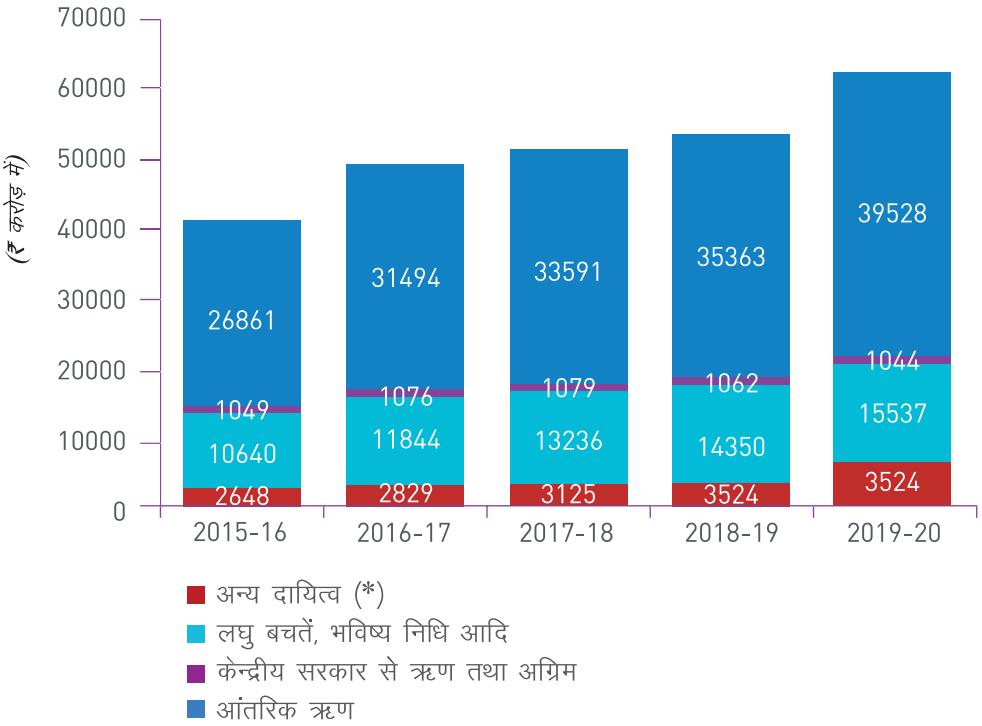

(*) स्थानीय निधियों, अन्य चिन्हित निधियों आदि के जमा जैसी ब्याज तथा ब्याज रहित बाध्यताएं ।

6.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती हैं। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। वैद्यानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2015-16	9,658	3,714*	#
2016-17	12,320	4,550*	#
2017-18	8,848	4,394*	#
2018-19	5,181	4,309*	#
2019-20	640	1,947*	#

** मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।*

नोटः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आहरित है

 # लागु नहीं है।

अध्याय VII

अन्य मदें

7.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की न्यून-तालिका प्रदर्शित होती रही हैं। 31 मार्च 2020 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

वर्ष 2019-20 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 7,390 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹ 458 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2020 के अन्त में ₹ 97 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी प्रदान नही की गई थी। वर्ष 2019-20 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹ 21 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹ 7 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

पिछले पांच वर्षो के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2015-16 में ₹ 2,612 करोड़ से वर्ष 2019-20 में ₹ 3,506 करोड़ की वृद्धि हुई। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹ 1,509 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 43 *प्रतिशत* है।

बिगत पांच वर्षो के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है : -

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थानों के नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	जिला परिषद एव पंचायती राज संस्थान	927	1,012	781	1,026	1,021
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	322	554	249	488	456
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	664	850	905	951	1,053
4	विकास एजेंसी	80	150	111	144	99
5	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	277	272	344	337	440
6	अन्य संस्थान	342	519	505	688	437
	जोड़	**2,612**	**3,357**	**2,895**	**3,634**	**3,506**

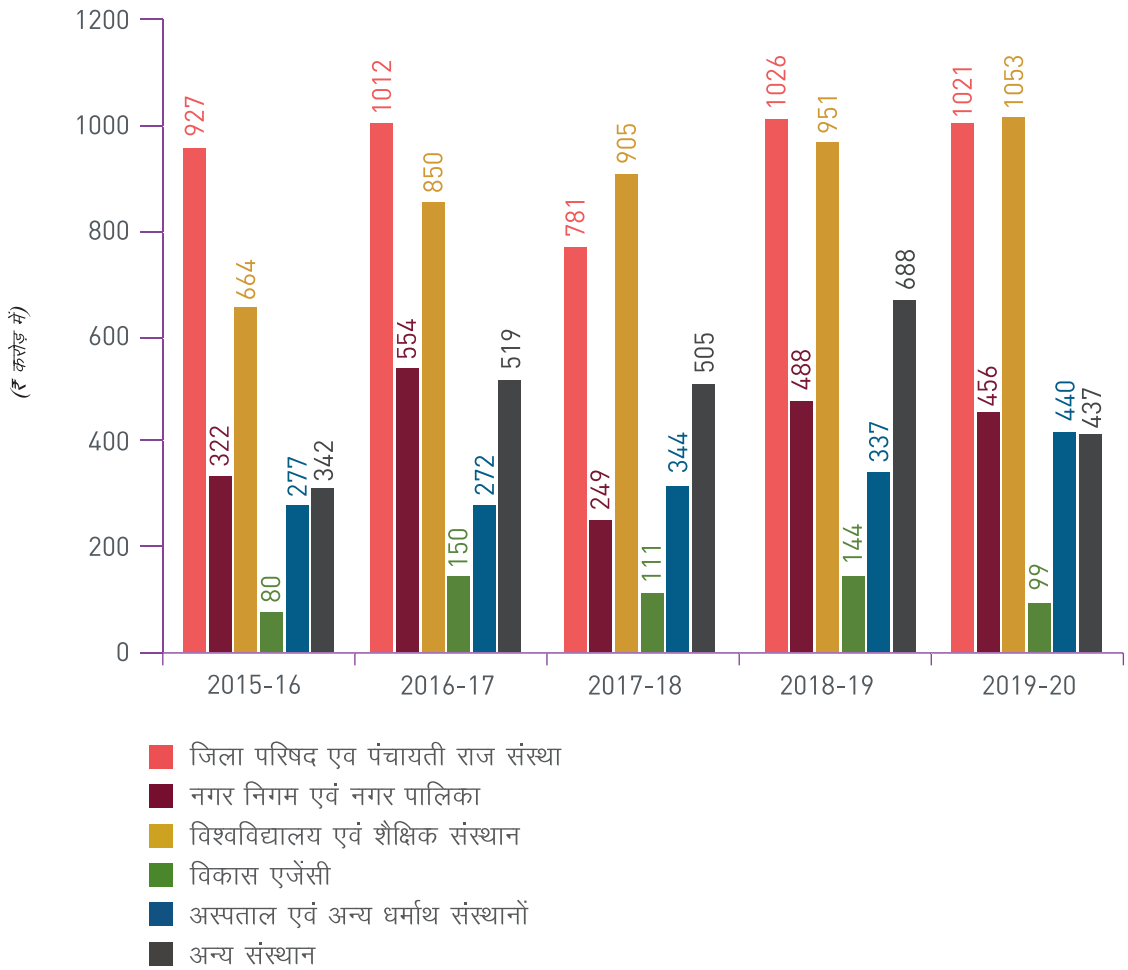

विगत पांच वर्षों में पूंजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आवंटित सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्था का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	जिला परिषद	--	--	15	29	27
2	पचांयत समिति	--	--	11	24	9
3	ग्राम पंचायत	208	326	321	370	501
4	नगर निगम	79	245	43	72	41
5	नगर पालिका	62	143	28	72	67
6	शैक्षिक संस्थान	--	1	--	--	20
7	विकास एजेंसी	15	35	38	41	41
8	संविधिक निगम	10	10	10	12	12
9	सहकारी संस्थान	--	1	1	1	1
10	सामाजिक कल्याण	--	--	--	--	--
11	विश्वविद्यालय	2	--	--	--	--
12	अन्य	159	213	206	213	126
	जोड़	**535**	**974**	**673**	**834**	**845**

7.4 रोकड शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2019 की स्थिति	31 मार्च 2020 की स्थिति	निवल बढ़ौतरी (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-)50	(+)78	(+)128
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	103	982	(+)879
चिन्हित निधियों के शेष से निवेश	--	--	--
(क) निक्षेप निधि	--	--	--
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	--	--	--
(ग) अन्य निधियां	--	--	--
वर्ष के दौरान वसूल किया गया ब्याज	67	55	(-)12

सरकार के पास 31 मार्च 2020 के अन्त में नकारात्मक रोकड़ शेष नहीं है। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्तियों में (₹ 67 करोड़ से ₹ 55 करोड़) 12 *प्रतिशत* की कमी हुई।

7.5 प्राप्ति तथा व्यय का मिलान

सरकार की प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार (ले0 व ह0) द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ प्रमुख नियन्त्रण अधिकारी (सी.सी.ओ.)/नियन्त्रण अधिकारी (सी. ओ) द्वारा मिलान किया जाना अनिवार्य है। दोनों (प्राप्तियों एवं व्यय) के सम्बन्ध में प्रमुख नियन्त्रण अधिकारियों(सी सी ओ)/नियन्त्रण अधिकारियों (सी ओ) द्वारा यह मिलान पूर्ण कर लिया गया है।

7.6 लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रेषण

वित्त लेखे 2019-20, हिमाचल प्रदेश सरकार के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लेन देनों को प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्राप्तियों एंव व्यय के लेखाओं को 18 जिला कोषागारों, 87 लोक निर्माण मण्डलों, 89 वन मण्डलों, 60 जल शक्ति विभाग द्वारा प्रेषित प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों के आधार पर संकलित किया गया है। लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा प्रेषित लेखे संतोषजनक थे तथा किसी भी लेखे को वितीय वर्ष के अन्त में असमायोजित नहीं रखा गया।

7.7 सार आकस्मिक बिल/विस्तृत आकस्मिक बिल

आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी. डी. ओ.) अग्रिम रूप से धन आहरित करने तथा तत्पश्चात समायोजन बिलों को प्रेषित करने हेतु अधिकृत है। राज्य सरकार ने (जून 2017) में छः विभागों युवा सेवाऐं और खेल, आयुर्वेद, स्वास्थय और परिवार कल्याण, अभियोजन, कृषि और बागवानी को सार आकस्मिक (ए.सी.) बिल संचालन हेतु नामिंत किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार आकस्मिक बिलों (ए.सी.) के विरूद्ध निकाले गये अग्रिम की निगरानी करने व विस्तृत आकस्मिक बिलों (डी. सी.) के रूप में उनके समायोजन के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की गई है।

7.8 उचन्त तथा प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे, उचन्त एवं प्रेषण शीर्षो के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते है। इन शीर्षो के अन्तर्गत, लम्बित शेषों का विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत पृथक लम्बित नामे एवं जमा शेषों को जोड़ते हुए निकाला जाता है। पिछले पांच वर्षो में मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखा तथा 8782- प्रेषण के अन्तर्गत उचन्त मदों का सकल नामे एवं जमा के रूप में विवरण निम्न प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-उचन्त लेखा										
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त	56	18	77	30	86	37	96	35	125	57
निवल	**38 नामे**		**47 नामे**		**49 नामे**		**61 नामे**		**68 नामे**	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	195	212	275	275	171	164	150	132	1,551	164
निवल	**17 जमा**		**शून्य**		**7 नामे**		**18 नामे**		**1,387 नामे**	
110-भारतीय रिजर्व बैंक उचन्त (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	0	0	0	0	0	0	1	0	3,755	3,755
निवल	**शून्य**		**शून्य**		**शून्य**		**1 नामे**		**शून्य**	
112-स्त्रोत पर कर कटौती उचन्त	285	303	380	395	400	454	484	497	448	468
निवल	**18 जमा**		**15 जमा**		**54 जमा**		**13 जमा**		**20 जमा**	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	144	407	176	399	271	348	164	306	140	244
निवल	**263 जमा**		**223 जमा**		**77 जमा**		**142 जमा**		**104 जमा**	
ख. 8782 एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन										
102-लोक निर्माण कार्य प्रेषण	4,801	5,144	6,342	6,652	6,668	7,037	7,185	7,661	7,508	8,105
निवल	**343 जमा**		**310 जमा**		**368 जमा**		**475 जमा**		**597 जमा**	
103- वन प्रेषण	190	212	139	163	120	151	152	187	125	142
निवल	**22 जमा**		**24 जमा**		**31 जमा**		**36 जमा**		**17 जमा**	

7.9 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

विशेष प्रयोजनों हेतु संस्वीकृत अनुदानों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश वितीय नियमवाली, 1971 (संशोधित 2009) के नियम-157 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी,) प्राप्त किया जाना चाहिये, जिसे सत्यापित किए जाने के उपरान्त संस्वीकृति में उल्लिखित तिथियों के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा प्रदत सहायता-अनुदान को सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्षों के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है।

वर्ष *	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र	राशि *(₹ करोड़ में)*
2017-2018	479	470
2018-19	604	593
2019-20	1,399	1,785
कुल	**2,482**	**2,848**

** वर्णित वर्ष देय वर्ष अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बन्धित है।*

वर्ष 2019-20 में ₹ 2,395 करोड़ के 13,619 प्रमाण पत्र (वर्ष 2018-19 के ₹ 836.22 करोड़ के 1,324 प्रमाण पत्र और वर्ष 2019-20 के ₹ 1,559 करोड़ के 12,295 प्रमाण पत्र) प्राप्त हो चुके है।

31 मार्च 2020 तक कुल लम्बित ₹ 2,848 करोड़ के प्रमाण पत्रों में से, ₹ 2,295 करोड़ के 81 *प्रतिशत* प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र, राशि के अनुपात में छः विभागों; पंचायती राज विभाग (₹ 1,172 करोड़ के 956 उपयोगिता प्रमाण पत्र), शहरी विकास (₹ 476 करोड़ के 166 उपयोगिता प्रमाण पत्र), ग्रामीण विकास (₹ 253 करोड़ के 194 उपयोगिता प्रमाण पत्र) कृषि एवं बागवानी (₹ 157 करोड़ के 31 उपयोगिता प्रमाण पत्र), आयुष (₹ 123 करोड़ के 82 उपयोगिता प्रमाण पत्र), एवं शिक्षा विभाग (₹ 114 करोड़ के 46 उपयोगिता प्रमाण पत्र) से सम्बन्धित थे ।

7.10 अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यो बारे वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा 13 अपूर्ण परियोजनाओ, प्रत्येक ₹ 5 करोड़ या अधिक पर वर्ष 2019-20 में ₹ 378 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के सम्मुख ₹ 90 करोड़ का कुल व्यय किया गया, जिसका विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट IX में है ।

अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रतिबद्धताओं पर संक्षिप्त दृष्टिकोण इस प्रकार हैः-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कार्यो की श्रेणी (कार्यो की संख्या)	निर्माण कार्य की लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान अद्यतन व्यय	बकाया राशियां	संशोधन के उपरान्त निर्माण कार्य की लागत
1	जलापूर्ति स्कीम (7)	143	1	14	--	--
2	मल निकास स्कीम (1)	6	--	9	--	--
3	सडके (2)	12	2	11	--	--
4	भवन (3)	217	15	56	--	--
	जोड़	**378**	**18**	**90**	**--**	**--**

7.11 नई पेंशन स्कीम

वर्ष के दौरान 14 मई 2003 या उससे पहले नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के पैंशन और अन्य सेवानिवृति लाभों पर ₹ 5,023 करोड़ व्यय किया गया (जिसमें ₹ 372 करोड़ अवकाश नगदीकरण लाभ सम्मिलित हैं) जोकि राज्य के कुल राजस्व व्यय ₹ 30,730 करोड़ का 16 *प्रतिशत* है। 15 मई 2003 से नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अशंदायी पैंशन योजना के हकदार है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दोनों (कर्मचारी एंव नियोक्ता) प्रकार के अशंदानों को आरम्भ में लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा, 117- सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पैंशन योजना में जमा किया जाना है। तत्तपश्चात, संपूर्ण राशि को उसी वर्ष में पदनामित निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति जमानिगमित(एन. एस. डी. एल.)/ट्रस्टी बैंक द्वारा हस्तांतरित किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य शीर्ष 8342- अन्य जमा-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पैंशन स्कीम में ₹ 821 करोड़ की कुल राशि (कर्मचारियों का अंशदान : ₹ 349 करोड़, सरकार का अंशदानः ₹ 472 करोड़ और ब्याजः ₹ 0.05 करोड़) क्रेडिट की गयी। सरकार ने ₹ 822 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदानः ₹ 350 करोड़ और सरकार का अंशदानः ₹ 471 करोड़) राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित में हस्तांतरित किए। यद्यपि, मुख्यशीर्ष 8342-अन्य जमा-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पैंशन स्कीम में ₹ 1 करोड़ (2018-19) का प्रतिकूल शेष वर्ष के अन्त में बढ़कर ₹ 2 करोड़ (2019-20) हो गया है जिसे राज्य सरकार के साथ मिलान करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में एन. एस. डी. एल. ने सुनिश्चित किया कि वर्ष के दौरान कुल राशि ₹ 821 करोड़ जमा की गई थी। राज्य सरकार और एन. एस. डी. एल. के बीच का अन्तर मिलान के अन्तर्गत है।

7.12 व्यक्तिगत जमा खाते

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 खण्ड-1 नियम संख्या 12.7 के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा खातों का संचालन समेकित निधि में से राशियों के अन्तरण द्वारा किया जाता है, जिसे निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु व्यय को संबंधित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत जमा खातों में पड़े अव्ययित शेषों को वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को समेकित निधि में वापिस अन्तरित किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को अगले वर्ष पुनः खोला जाता है। पिछले कई वर्षों से अनुरोध करने पर भी इन नियमों का राज्य सरकार द्वारा अनुसरण नहीं किया गया है।

व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण निम्न हैः-

(₹ करोड़ में)

01.04.19 को व्यक्तिगत जमा खातों अथ शेष		वर्ष 2019-20 के दौरान खोले गए व्यक्तिगत जमा खाते	वर्ष 2019-20 के दौरान बन्द किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान संयोजन	इतिशेष 31-03-2020		संचालित लेखे		असंचालित लेखे	
संख्या	राशि	शून्य	शून्य	0.61	0.35	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
112	2.56					112	2.82**	102	2.59	10	0.23*

(*) 1 वर्ष से अधिक अवधि तक असंचालित राशि

(**) कुल ₹ 2.82 करोड़ के व्यक्तिगत जमा खातों में से, ₹ 2.75 करोड़ मुख्य शीर्ष 8443-106 (व्यक्तिगत जमा) तथा शेष ₹ 0.07 करोड़ मुख्य शीर्ष 8448-109 (पंचायती निकायों की निधियां) वित्त लेखों में दर्शाए गए है।

7.13 निवेश

राज्य सरकार वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी संस्थानों के इक्विटी और शेयरों में निवेश करती है। लेखाओं के अनुसार 69 इकाईयों में सरकार का निवेश 31 मार्च 2020 तक ₹ 4,261 करोड़ था, जिनमें से ₹ 248 करोड़. लाभांश/ब्याज (कुल निवेश का 6 *प्रतिशत* है) प्राप्त हुए । इनमें से केन्द्रीय सरकार कम्पनी हिमाचल प्रदेश सतलुज जल विद्युत निगम (पहले नाथपा झाकड़ी पॉवर कॉर्पोरेशन) में निवेशित ₹ 1,098 करोड़ से ₹ 248 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ तथा 68 इकाईयों में निवेशित ₹ 3,163 करोड़ से केवल ₹ 1 करोड़ का लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ। यद्यपि, राज्य सरकार से इन आंकड़ों की पुष्टि की आवश्यकता है क्योंकि इन संस्थाओं से आकड़ों का मिलान नहीं किया गया है ।

7.14 रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)

प्रधान महालेखाकार द्वारा दर्शित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित रोकड़-शेष के बीच 31 मार्च 2020 तक ₹ 17 करोड़ (नामे) का अन्तर था । वर्ष 2019-20 में प्रधान महालेखाकार द्वारा निकाले गये रोकड़ शेष ₹ 78 करोड़ (नामे) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बतलाए गए रोकड़-शेष ₹ 61 करोड़ (जमा) था । 31 जुलाई 2020 तक मिलान के उपरान्त यह ₹ 0.18 करोड़ (नामे) के अन्तर से बढ़कर ₹ 17 करोड़ (नामे) हो गया है ।

पिछले पाच वर्षों में रोकड़-शेष का अन्तर निम्न प्रकार हैं :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रधान महालेखाकार के आंकड़े	भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े	अन्तर
2014-15	740 जमा	746 नामे	7 नामे
2015-16	341 जमा	352 नामे	12 नामे
2016-17	443 जमा	435 नामे	9 जमा
2017-18	541 जमा	483 नामे	57 जमा
2018-19	50 जमा	45 नामे	4 जमा

टिप्पणी:- कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एजेंसी बैंको पर कोई दंण्डात्मक ब्याज नहीं लगाया गया है ।

7.15 समेकित निक्षेप निधियां

बारहवें वित्त आयोंग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बकाया देनदारियों के प्रत्युत्सर्जन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि बनानी अपेक्षित थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संचालित करना था । आर.बी.आई. के 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को गत वर्ष के कुल बकाया देनदारियों का 0.5 *प्रतिशत* के बराबर इस निधि में अंशदान देना अपेक्षित था । यह निधि स्वैच्छिक है । राज्य सरकार द्वारा यद्यपि समेकित निक्षेप निधि का गठन अभी तक नहीं किया गया।

7.16 गारंटी मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों से उत्पन्न प्रासंगिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गारंटी मोचन निधि स्थापित करनी अपेक्षित थी, तथा पिछले वर्ष के बकाया गारंटियों के 0.5 *प्रतिशत* के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना था। यह निधि भी स्वैच्छिक है । यद्यपि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने गारंटी मोचन निधि को अभी तक स्थापित नहीं किया गया।

7.17 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

(i) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, ओला वृष्टि, भूस्खलन, हिम स्खलन , बादल फटने आदि से पीडितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए खर्च को पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया है ।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्र और राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करने की आवश्यकता है । राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति को राज्य लेखे में मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के तहत राजस्व के रूप में लिया जाता है । राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में योगदान की कुल राशि (केन्द्रीय भाग व राज्य भाग) के हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि -101-आरक्षित निधियों और जमा लेखों को अन्तरण में उचित बजट प्रावधान करेगी । केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति पर राज्य सरकार अपने हिस्से के साथ, राशि को मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के नीचे ब्याज वहन आरक्षित निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में हस्तांतरित करेगी । राहत कार्यों पर हुए वास्तविक खर्च मुख्य शीर्ष 2245 के अन्तर्गत केवल सम्बन्धित उप/लघु शीर्ष में ही लिए जायेगे ।

वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 197 करोड़ का अपना हिस्सा जारी किया । राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गलत प्रयोग करने के कारण ₹ 61 करोड़ की राशि को केन्द्र सरकार द्वारा रोक लिया गया । हालाँकि राज्य सरकार ने ₹ 22 करोड़ (₹ 197 करोड़ पर) के बजाए ₹ 258 करोड़ पर (₹ 197 करोड़ + ₹ 61 करोड़ पर) ₹ 29 करोड़ अपना पूर्ण हिस्सा जारी किया। ₹ 226 करोड़ (₹ 197 करोड़ + ₹ 29 करोड़) की पूर्ण राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि- 122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में हस्तांतरित कर दी गयी है । बाद में सम्पूर्ण राशि को विभिन्न आहरण व संवितरण अधिकारियों के बचत खातों में हस्तांतरित कर दिया गया है । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बचत खातों में धन का हस्तातंरण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा निर्देशों का उल्लंघन था ।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 28 सितम्बर 2010 तथा 30 जुलाई 2015 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में अव्ययित बकाया निधि विशेष प्रयोजनों में ही निवेश की जानी चाहिए । राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर छः माही आधार पर ओवर ड्राफट (भारतीय रिजर्व बैंक के जारी दिशा निर्देशों के अधिनियम) पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान करने की भी आवश्यकता है । तथापि राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान अव्ययित बकाया राशि को न निवेश किया और न ही अनिवेशित राशि पर कोई ब्याज का भुगतान किया ।

अनिवेशित राशि पर 31 मार्च 2019 को निधि में रखी हुई ₹ 1 करोड़ की अनिवेशित राशि पर ₹ 0.07 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में अनुमानित थी । राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान न अव्ययित बकाया राशि को निवेश किया और न ही अनिवेशित राशि पर कोई ब्याज का भुगतान किया । ₹ 0.07 करोड़ के ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष की अधिकता और राजकोषीय घाटे में कमी आयी है ।

(ii) भारत सरकार द्वारा चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, सुनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना, कीट हमला, शीत लहर व पाला आदि प्राकृतिक आपदायें गम्भीर प्रवृत्ति की मानी गयी है और राज्य द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की आवश्यकता में एन. डी. आर. एफ. से तत्काल राहत सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करेगी । राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रावधान के अनुसार एन. डी. आर. एफ. से निधियों की प्राप्ति पर राज्य सरकार उसे मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के तहत राजस्व के रूप में लेगी । राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि की प्राप्ति के हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए राज्य सरकार मुख्यशीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-80-

सामान्य-103- एन. डी. आर. एफ. से राज्यों को सहायता के तहत उपर्युक्त बजट प्रावधान करेगी। राज्य के एस. डी. आर. एफ. लेखे एन. डी. आर. एफ. से सहायता की प्राप्ति को पृथक रूप से दिखाने चाहिए। एन. डी. आर. एफ. से निधि की प्राप्ति पर राज्य लोक लेखा में शीर्ष 8235- सामान्य और अन्य आरक्षित निधि-125 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत तत्काल हस्तांतरित करेगा। एन. डी. आर. एफ. से किए गए वास्तविक व्यय मुख्य शीर्ष 2245 में सम्बन्धित लघुशीर्ष के तहत लिखे जाने चाहिए।

2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने एन. डी. आर. एफ. के अन्तर्गत भारत सरकार से ₹ 518 करोड़ प्राप्त किये जिसे शीर्ष 8235-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि-125 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत लोक लेखे में हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में सम्पूर्ण राशि को विभिन्न आहरण व संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया गया। आहरण व संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खातों में धन का हस्तांतरण राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा निर्देशों का उल्लंघन था

7.18 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 5-1/2009- एफ. सी. दिनांक 28-04-2009 के द्वारा जारी निर्देशों और 2 जुलाई, 2009 के दिशा निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकारों को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण की स्थापना करने की आवश्यकता है जो क्षतिपूरक वनीकरण, प्राकृतिक पुर्नजनन में सहायता, वनों के संरक्षण व सुरक्षा, आधारिक संरचना विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा और अन्य सम्बन्धित गतिविधियाँ तथा इससे सम्बन्धित अथवा इसके अलावा आकस्मिक मामलों के लिए प्राप्त राशि और एकत्रित धन का प्रशासन करेगा। इस उद्धेश्य के लिए प्राधिकरण राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करेगा।

लेखांकन की व्यवस्था:

राज्य सरकार उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन को राज्य के लेखे में मुख्य शीर्ष 8336- सिविल जमा के नीचे लघुशीर्ष तक ब्याज वहन खण्ड के अन्तर्गत 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष' में जमा करने की आवश्यकता होती है। क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के खण्ड 3(4) के तहत, निधि का 90 *प्रतिशत* राज्य के लोक लेखा में मुख्यशीर्ष 8121- सामान्य व अन्य रिजर्व निधि में स्थानांतरित किया जाना है और शेष 10 *प्रतिशत* वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जाये बशर्ते कि निधि का 10 *प्रतिशत* केन्द्रीय हिस्सों का क्रेडिट मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाये ताकि वहाँ राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित हो। '8336- सिविल जमा' के अन्तर्गत 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष' और '8121- सामान्य और अन्य रिजर्व निधि' के अन्तर्गत 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष' में उपलब्ध शेष राशि पर लागू ब्याज की दर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर घोषित के अनुसार होगी।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि की स्थिति:

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने भारत सरकार से ₹ 1,661 करोड़ प्राप्त किये जिसे मुख्य शीर्ष 8121-129 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि के अन्तर्गत जमा किया गया। राज्य सरकार द्वारा निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

7.19 राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर

(क) **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरः** भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 व भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर 1996(उपकर नियम) के द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण में जुटे श्रमिको की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण व नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत सरकार द्वारा उपकर अधिनियम की धारा 14 के उपखण्ड 1 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम-1998(उपकर नियम) बनाऐ गये। इसी अधिनियम के अनुरूप हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 बनाया गया तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना मार्च 2009 में की गई।

उपकर अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत प्रत्येक नियोक्ता जोकि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से सम्बन्ध रखता है सरकार उससे उपकर वसूलेगी जोकि कुल राशि के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसी तरह धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि एकत्रित उपकर की राशि राज्य लेखांकन प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित चालान द्वारा बोर्ड को हस्तांतरित की जायेगी।

यह पाया गया है कि श्रमिक कल्याण लेखों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई नियम नही बनाये है और श्रमिक उपकरों के संग्रह की बुकिंग के लिये सरकार ारा उपशीर्ष उपलब्ध नहीं करवाया गया है। श्रमिक उपकर को निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से सडक और भवन/जल शक्ति विभाग द्वारा लगाया जा रहा है और 8443-सीविल डिपोजिट (नागरिक जमा)-108-सार्वजनिक निर्माण में जमा किया जा रहा है। जब तक सार्वजनिक निर्माण जमा उपशीर्ष न खुला हो, एकत्रित उपकर की राशि, और श्रम कल्याण बोर्ड को हस्तान्तरित की गई राशि, और शेष राशि का हस्तांतरण निर्धारित लेखाकंन नियमों की अनुपस्थिति में पता नहीं लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड एक स्वायत्तशासी निकाय है, इसलिए सरकारी लेखे में उपकर के ब्यौरे उपलबध नहीं होते हैं। हालाँकि, राज्य के लोक निर्माण और जल शक्ति मण्डलों द्वारा प्रदान सूचना के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 33 करोड़ एकत्रित किए गए तथा ₹ 29 करोड़ बोर्ड को 8443-सिविल डिपोजिट (नागरिक जमा)-108-सार्वजनिक निर्माण से श्रमिक उपकर के सम्बन्ध में प्रेषित किए गये।

(ख) **परिवहन अवसंरचना निधिः** इस निधि का सृजन हि0प्र0 मोटर वाहन कर अधिनियम 1972 के अन्तर्गत एक बार के कर पर 10 *प्रतिशत* और अन्य करों पर 10 *प्रतिशत* अधिभार लगाकर किया जाएगा। वर्ष के दौरान ₹ 14 करोड़ सग्रहित किये गये और मुख्यशीर्ष 0041-00-102-08 में जमा किये गये। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी लेखा प्रक्रिया नहीं बनाई गई है।

(ग) **हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा निधिः** सड़क दुर्घटना मृत्यु को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने राज्य सरकार को सड़क सुरक्षा निधि स्थापित करने के निर्देश दिये है जोकि अव्यपगत होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यातायात उल्लंधनों से एकत्र किये गये जुर्माने/चक्रवृद्धि शुल्क के महत्वपूर्ण हिस्से के विचलन से उपार्जित निधि के धन का एक स्थिर प्रवाह हो। निधि केवल बजटीय आबंटनों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए जो सरकार की वित्तीय बाधाओं के अनुसार भिन्न हो सकती है।

2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने निदेशक, परिवहन विभाग, के बैक खाते में सड़क सुरक्षा निधि के लिए ₹ 7 करोड़ तथा परिवहन आधारित संरचना के लिए ₹ 2 करोड़ स्थानांतरित किया है। हांलाकि, धन का स्थानांतरण वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य शीर्ष 2041 में उसी सार्वजनिक खाते में क्रेडिट प्रदान करने के प्रावधानों के विरूद्ध राजस्व व्यय के रूप में लेखांकित किया गया है। फलस्वरूप, सरकार ने इन निधियों का कोई निवेश नहीं किया है।

7.20 आहरण व संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खातों में धन की पार्किंग

हिमाचल प्रदेश खजाना नियम 183(3)(v) के अनुसार, जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए आवश्यक न हो, राजकोष से कोई पैसा निकाला नहीं जाएगा। नियम 184(1) कहता है कि धन निकालना और उन्हें रोकड़ कोष या बैंक में जमा करना एक गम्भीर अनियमितता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान केवल स्वीकृति के आदेशों के आधार पर राज्य सरकार/आहरण व संवितरण अधिकारी ने ₹ 1,374 करोड़ की राशि (नमूना जाँच के आधार पर परीक्षण) राजकोष से निकाली और आहरण व संवितरण अधिकारी के बैंक खातों में इन राशियों को स्थानातरित कर दिया तथा मौजूदा खजाना नियमों के उल्लंघन में सरकारी लेखों के बाहर रखा। राज्य सरकार ने वास्तविक खर्च हुए बिना राज्य विधान सभा द्वारा बनाये गये बजट प्रावधानों के विरूद्ध इन राशियों को व्यय के रूप में माना।

व्यय के प्रमाण के रूप में वाउचरों और अन्य दस्तावेजों को न देने के कारण ₹ 1,374 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 1,202 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 172 करोड़) की सम्पूर्ण राशि को प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) की पुस्तको में 'उचन्त' के अधीन स्थगन में रखी गयी है। इस प्रकार वित्त लेखें में कथित राशि को राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय के रूप में और विनियोजन लेखें में वर्ष 2019-20 के बजट प्रावधानों के विरूद्ध वास्तविक खर्चे के रूप में नहीं लिया गया है। उचन्त के अधीन स्थगन में रखी गयी राशि की मुख्य शीर्षवार स्थिति अनुबंध- ङ वित्त लेखें में दी गयी है।

7.21 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को स्थानांतरित निधि

भारतीय युवाओं की बड़ी संख्या को उनके बेहतर आजीविका को सुरक्षित करने की सहायता के लिए उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण और ज्ञान के लिए सक्षम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (जुलाई 2015) का शुभारम्भ किया। यह योजना राज्य में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से लागू की गयी है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 2230- श्रम व रोजगार के अधीन सहायता अनुदान के माध्यम से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को ₹ 88 करोड़ राशि की निधि प्रदान की। प्रधान महालेखाकार के अभिलेख अनुदान उपयोग का पता लगाने में सहज नहीं है।

7.22 व्यय की अधिकताः मुख्यशीर्ष 2040

मुख्य शीर्ष 2040 ''बिक्री, व्यापार आद के करों पर व्यय'' में शामिल सहायता अनुदान की राशि ₹ 16 करोड़ में से गऊवंश संवर्धन बोर्ड (पशुपालन विभाग) को ₹ 8 करोड़ और रोगी वाहन (एम्बुलेंस) सेवा (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के लिए ₹ 8 करोड़ का भुगतान किया जो करों पर व्यय से सम्बधिंत नहीं थे और इस प्रकार यह व्यय का गलत वर्गीकरण है। इसलिए, इस सीमा तक मुख्य शीर्ष 2040 के अधीन राजस्व व्यय अधिक और क्रमशः मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन और मुख्य शीर्ष 2211 परिवार कल्याण प्रत्येक के अधीन व्यय ₹ 8 करोड़ कम है। तथापि, कुल राजस्व व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

7.23 स्वायत्तशासी निकायों आदि को निधियों का अंतरण

राज्य सरकार, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्तशासी निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को निधियां उपलब्ध कराती है। चूंकि निधियां सामान्यतया कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण खर्च नहीं की जाती है, अनुपयोजित शेष इन कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खाते में पड़ा रहता है। कार्यान्वयन एजेंसियों के लेखों में सरकारी खातों (बैंक खाते में) से बाहर रहे अनुपयोजित शेष की कुल राशि सहज ज्ञात नहीं की जा सकती है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने स्वायत्त निकायो, सहकारी समितियों तथा गैर सरकारी संगठनों को अनुदान के रूप में ₹ 805.49 करोड़ जारी किये। इन अनुदानों का विवरण वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 तथा परिशिष्ट-III में उपलब्ध है।

7.24 लेखांकन मानकों की अनुपालना

सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोटिंग के मानकों में सुधार के उद्धेश्य से स0 ले0 म0 स0 बो0 (ग0 स0 ब0) ने लेखांकन की नगद प्रणाली के लिए भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों को तैयार किया है। भारतीय सरकारी लेखांकन मानक संघ और राज्य सरकार के वित्तीय वक्तव्यों में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। तदनुसार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनकी अधिसूचना के बाद प्रभावी तिथि से निम्नलिखित तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक अनिवार्य हो गये है।

(1) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां-प्रकटन सम्बन्धी आवश्यकताएं (भा.स.ले.मा.-1)

(2) सहायता द्वारा प्रदत्त गारंटियां-प्रकटन सम्बन्धी आवश्यकताएं (भा.स.ले.मा.-1)

(3) सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में (भा.स.ले.मा.-3)।

यह पाया गया है कि भा.स.ले.मा.-2 और भा.स.ले.मा.-3 का पूर्ण रूप से अनुपालन वित्त लेखे (खण्ड-I) में लेखाओं पर टिप्पणियाँ के पैरा संख्या 3 (xiii) एवं पैरा संख्या 3 (iv) क्रमशः में दिए गये विस्तृत अवलोकनों को देखते हुए नहीं किया गया है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2020
www.cag.gov.in